



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05052025-262891
CG-DL-E-05052025-262891

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 244]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 3, 2025/ वैशाख 13, 1947

No. 244]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 3, 2025/ VAISAKHA 13, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 3 मई, 2025
सं. 43/2025

सा.का.नि. 287(अ)—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (पंद्रहवां संशोधन) नियम, 2025 है।
(2) ये 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगे।
- आयकर नियम, 1962 के परिशिष्ट-2 में, प्ररूप आ.क.वि.-2 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

“ प्ररूप	आ.क.वि-2	भारतीय आय कर विवरणी [व्यष्टिकों और हि.अ.कु. के लिए, जिनकी कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ से आय नहीं है] [कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए] (कृपया अनुदेश देखे)	निर्धारण वर्ष						
			2	0	2	5	-	2	6

भाग क-साधारण		साधारण	
व्यक्तिगत सूचना	(क1) प्रथम नाम	(क2)मध्य नाम	(क3)अंतिम नाम
	(क4)स्थायी लेखा सं.(पैन)		
	(क6)फ्लैट/द्वार/ब्लॉक सं.	(क7)परिसर / भवन / गांव का नाम	(क5) प्रास्थिति (सही का निशान लगाएँ) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> व्यष्टि <input type="checkbox"/> हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब
	(क8)मार्ग / गली / डाकघर	(क14)जन्मतिथि / गठन / (तिथि / मास / वर्ष)	
	(क9)क्षेत्र / अवस्थान	(क15)आधार संख्यांक (12 अंक)	
	(क10)नगर / शहर / जिला	(क11)राज्य	(क13) पिनकोड / जिप कोड
		(क12)देश	
	(क16) निवास/कार्यालय का एस.टी.डी कोड सहित फोन नं. / मोबाईल नं.1		(क17) मोबाईल नं. 2
(क18)ई मेल पता -1 (स्वयं का)		(क19)ई मेल पता -2	
फाइलिंग का स्टेटस	(क20)	(क1i)धारा के अधीन दाखिल (सही का निशान लगाएँ) [कृपया अनुदेश देखिए] <input type="checkbox"/> 139(1)- नियत तारीख को या उससे पूर्व <input type="checkbox"/> 139(4)- विलंबित, <input type="checkbox"/> 139(5)-पुनरीक्षित, <input type="checkbox"/> 92गघ उपांतरित विवरणी <input type="checkbox"/> 119(2)(ख)- विलम्ब को माफ करने के पश्चात्	
		(क 1ii) या धारा के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में दाखिल <input type="checkbox"/> 139(9) <input type="checkbox"/> 142(1) <input type="checkbox"/> 148 <input type="checkbox"/> 153ग	
	(क2)	क्या आप नई कर व्यवस्था का चयन करके धारा 115 खकग(6) के अधीन विकल्प का प्रयोग करना चाहते हैं (डिफाल्ट रूप में 'नहीं' है? टिप्पण: बाहर निकलने का विकल्प चयन करने के लिए, धारा 139(1) के अधीन विवरणी सहित विकल्प का चयन करना चाहिए।	
	(ख)	क्या आप आय विवरणी धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अंतर्गत दायर कर रहे हैं अन्यथा आय विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें [नोट: तभी भरा जाए यदि किसी व्यक्ति को धारा 139(1) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है परन्तु धारा 139(1) के सातवें परन्तुक में उल्लिखित एक अथवा एक से अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण आय विवरणी दायर करना है]	
	(खi)	क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान एक या अधिक चालू खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक रकम या सकल रकम जमा किया है? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (रु)
	(खii)	क्या आपने स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की विदेश में यात्रा के लिए 2 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (रु)
	(खiii)	क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान विद्युत के उपभोग के लिए 1 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (रु)
	(खiv)	क्या आप धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अधीन निर्धारित शर्तों के अधीन आयकर विवरणी दाखिल कर रहे हैं किंतु आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की अन्यथा आवश्यकता नहीं है? (हां/नहीं) (यदि हां, तो दी गई तालिका से प्रासंगिक शर्त का चयन करें)	(चिह्न) . हां . नहीं
(ग)	यदि पुनरीक्षित / त्रुटियुक्त है तो रसीद सं0 और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें। (तारीख/मास/वर्ष)		/ /
(घ)	यदि धारा 139(9)/142(1)/148/153ग के अंतर्गत नोटिस अथवा धारा 19गघ के अंतर्गत आदेश की प्रतिक्रिया में दायर की गई- यूनिक संख्या/दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) तथा ऐसे नोटिस अथवा आदेश की तारीख भरें।	(यूनिक नंबर)	/ /
(ङ)	अ.निवासी	<input type="checkbox"/> पिछले वर्ष के दौरान आप भारत में 182 या अधिक दिन थे धारा 6(1)(क)	

		भारत में निवासीय प्रास्थिति (व्यक्ति के लिए) (लागू विकल्प का चयन करें)	<input type="checkbox"/> पिछले वर्ष के दौरान आप भारत में 60 या अधिक दिन थे, और पिछले 4 वर्षों के भीतर भारत में 365 दिन रहे हैं [धारा (6)(1)(ग)] [जहां स्पष्टीकरण 1 लागू नहीं होता है] <input type="checkbox"/> आप भारत के नागरिक हैं, जो रोजगार के प्रयोजनार्थ, भारतीय जहाज कर्मिंदल के सदस्य के रूप में भारत के बाहर गए तथा पूर्ववर्ती वर्ष में भारत में 182 दिन या इससे ज्यादा और गत 4 वर्षों में 365 दिन या इससे ज्यादा के लिए भारत में थे [धारा (6)(1)(क) के स्पष्टीकरण 1(क)] <input type="checkbox"/> आप भारत के नागरिक हैं या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और भारत में पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान आए हैं क) 182 दिन या इससे ज्यादा और गत 4 वर्षों में 365 दिन या इससे ज्यादा के लिए भारत में थे या उससे अधिक; या ख) 120 दिन या इससे अधिक तथा गत 4 वर्षों में 365 दिनों या इससे अधिक के लिए, यदि कुल आय विदेशी स्त्रोतों से आय के अतिरिक्त 15 लाख रू. से अधिक हो [धारा (6)(1)(ग) के स्पष्टीकरण 1(ख)]			
		आ. निवासी परंतु साधारणतया निवासी नहीं	<input type="checkbox"/> आप पिछले 10 वर्षों में से 9 वर्ष भारत में अनिवासी रहे हैं [धारा 6(6)(क)] <input type="checkbox"/> आप पिछले 7 वर्षों के दौरान भारत में 729 दिन या उससे कम भारत में रहे हैं [धारा 6(6)(क)] <input type="checkbox"/> आप भारत के नागरिक हैं, या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो भारत में आया है जिसकी कुल आय विदेशी स्त्रोतों से आय के अतिरिक्त 15 लाख रू. से अधिक है तथा भारत में गत वर्ष के दौरान 120 दिनों से अधिक किंतु 182 दिनों से कम रहा है [धारा 6(6)(ग)] <input type="checkbox"/> आप भारत के नागरिक हैं जिसकी कुल आय विदेशी स्त्रोतों से आय के अतिरिक्त गत वर्ष के दौरान 15 लाख रू. से अधिक है और किसी अन्य देश या क्षेत्र में कर प्रभार्य नहीं आपके अधिवास या निवास या अन्य किसी समान प्रकृति के मानदंड के कारण [धारा (6)(6)(घ) धारा 6(1क)] के साथ पठित			
		इ. अनिवासी	<input type="checkbox"/> पिछले वर्ष के दौरान आप अनिवासी थे (ii) कृपया पिछले वर्ष के दौरान निवास की अधिकारिता (अधिकारिताएं) विनिर्दिष्ट करें -			
			क्र.सं.	निवास की अधिकारिता (अधिकारिताएं)	करदाता पहचान संख्या (संख्याएं)	
			1			
			2			
			(ii) भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति (पीओआई) होने की दशा में, कृपया विनिर्दिष्ट करें-			
			पिछले वर्ष के दौरान भारत में ठहरने की कुल अवधि (दिनों में)		पिछले 4 वर्षों के दौरान भारत में ठहरने की कुल अवधि (दिनों में)	
		भारत में निवासीय प्रास्थिति (हिंदु अविभक्त कुटुम्ब के लिए) (लागू विकल्प का चयन करें)	ई. <input type="checkbox"/> निवासी <input type="checkbox"/> निवासी परंतु साधारणतया निवासी नहीं <input type="checkbox"/> अनिवासी			
	(च)	क्या आप धारा 115 ज के अधीन फायदे का दावा करना चाहते हैं (निवासी की दशा में लागू)	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं			
	(छ)	क्या धारा 5क के अनुसार आप पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित किए जाते हैं? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि "हां", कृपया अनुसूची 5क भरें)				
	(ज)	क्या आप एफ.पी.आई हैं? हां/नहीं यदि हां, सेबी रजिस्ट्रीकरण प्रदान करें				
	(झ)	विधिक इकाई पहचानकर्ता (एल.ई.आई) ब्यौरे (अनिवार्य है यदि प्रतिदाय 50 करोड़ रूपए या अधिक है)				
		एल ई आई सं.	तक वैध है			
	(ञ)	क्या यह विवरणी प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा दायर की जा रही है? (✓) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें -				
		(1) प्रतिनिधि का नाम				
		(2) प्रतिनिधि की क्षमता (ड्राप डाऊन उपबंधित किया जाए)				
		(3) प्रतिनिधि का पता				
		(4) प्रतिनिधि का स्थायी खाता संख्या (पैन)/ आधार				
	(ट)	क्या आप पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय आप किसी कंपनी के निदेशक थे? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो निम्नलिखित सूचना दे -				
		कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	पैन	क्या उसके शेयर सूचीबद्ध हैं या असूचीबद्ध	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)
			(ड्राप डाऊन प्रदान किया जाना है)			
	(ठ)	क्या पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय आपके पास असूचीबद्ध साधारण शेयर थे? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो साधारण शेयरों के संबंध में निम्नलिखित सूचना दे				

		कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	पैन	आरंभिक अधिशेष		वर्ष के दौरान अर्जित शेयर					वर्ष के दौरान अंतरित शेयर		अंतिम अधिशेष	
			(ड्राप डाउन प्रदान किया जाना है)		शेयरों की संख्या	अर्जन की लागत	शेयरों की संख्या	अभिदान/क्रय की तारीख	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गम मूल्य (नये निर्गम की दशा में)	प्रति शेयर क्रय कीमत (विद्यमान शेयर धारक से क्रय की दशा में)	शेयरों की संख्या	विक्रय प्रतिफल	शेयरों की संख्या	अर्जन की लागत
		1क	1ख	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

विवरणी प्रपत्र की अनुसूचियाँ (यथा लागू हों)

अनुसूची वेतन		वेतन से आय का ब्यौरा	
वेतन	नियोजक का नाम	नियोक्ता की प्रकृति (टिक) <input checked="" type="checkbox"/> करें (ड्राप डाउन प्रदान किया जाना)	नियोजक का टैन (आज्ञापक यदि कर काटा गया है)
	नियोजक का पता	नगर / शहर	राज्य
			पिनकोड / ज़िप कोड
	1	सकल वेतन (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ + 1च)	
	क	धारा 17(1) के अनुसार वेतन (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)	1क
	ख	धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)	1ख
	ग	धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बजाय लाभ (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)	1ग
	घ	धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	1घ
	ङ	धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश के अतिरिक्त देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	1ङ
	च	किसी अन्य पूर्ववर्ती वर्ष में जिसमें धारा 89क के अधीन गत वर्ष के दौरान कर योग्य आय पर छूट का दावा किया गया।	1च
	(एक से अधिक नियोजकों की दशा में सकल वेतन के लिए बहु पंक्तियाँ जोड़े)		
2	कुल सकल वेतन (सभी नियोजकों से)		2
3	धारा 10 के अधीन छूट के विस्तार तक कम भत्ते (ई-फाइलिंग उपयोगिता में ड्रापडाउन उपबंधित किया जाए) (कृपया अनुदेश देखें) (नोट: यह सुनिश्चित करें कि इसे उपरोक्त (2) में कुल निवल वेतन में शामिल किया गया है)		3
3(क)	घटाएं: धारा 89क के अधीन कराधान से राहत के लिए दावा की गई आय		
4	कुल वेतन (2 - 2क - 3क)		4
5	धारा 16 के अधीन कटौतियाँ (5क + 5ख + 5ग)		5
	क	धारा 16(क) के अधीन मानक कटौती	5क
	ख	धारा 16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता	5ख
	ग	धारा 16(iii) के अधीन वृत्तिक कर	5ग
6	वेतन शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (4 - 5)		6

अनुसूची गृह संपत्ति		गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (कृपया अनुदेशों को देखें) (संपत्ति के स्वामित्व को उपदर्शित करते हुए ड्रापडाउन का उपबंध करें)।			
गृहसंपत्ति	1	संपत्ति 1 का पता	नगर / शहर	राज्य	देश
		पिनकोड/ज़िप कोड			
		क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)			
	संपत्ति में आपके शेयर की प्रतिशतता (%)				

सहस्वामी (स्वामियों) का नाम		सहस्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्या/ आधार संख्या.	संपत्ति में शेयर की प्रतिशतता	
I				
II				
[लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं)		किराएदार का नाम(यदि किराये पर हो)	किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार (कृपया नोट देखें)	किराएदार (किराएदारों) का पैन/टैन/आधार (यदि टीडीएस जमा का दावा किया जाता है)
<input checked="" type="checkbox"/> यदि किराए पर हो <input type="checkbox"/> स्वयं के उपभोग में <input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया	I			
	II			
क प्राप्त किया गया या प्राप्त करने योग्य सकल किराया या लेटेबल मूल्य			1क	
ख किराए का रकम जो वसूल नहीं की जा सकती		1ख		
ग स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्तकर		1ग		
घ योग (1ख + 1ग)		1घ		
ङ वार्षिक मूल्य (1 क - 1 घ)- (शून्य, यदि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार स्वयं के दखल आदि में है)			1ङ	
च स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य(स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ)			1च	
छ 1च का 30%		1छ		
ज उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज (ब्यौरे ई-फाइलिंग में दिए जाने वाले डापडाउन में भरे जाएं)		1ज		
झ योग (1छ + 2ज)			1झ	
ञ वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त किया गया बकाया या वसूल नहीं किया गया किराया			1ञ	
ट गृहसंपत्ति 1 से आय (1च - 1झ + 1ञ)			1ट	
(प्रत्येक संपत्ति के लिए ब्यौरे पृथकतः भरें)				
2	आय/क्षति के जरिए पास यदि कोई हो *			2
3	“गृह संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन आय (2ट + 2) (यदि नकारात्मक हो तो सीवाईएलए अनुसूची का 2i अंक लेंगे)			3
टिप्पण	इस शीर्ष के अधीन आय की गणना करते समय कृपया एसपीआई अनुसूची में निर्दिष्ट व्यक्ति की विनिर्दिष्ट आय और पीटीआई अनुसूची में निर्दिष्ट निकासी आय को सम्मिलित करें।			
टिप्पण	किराएदार का पैन/ आधार संख्या. दिया जाना अनिवार्य है यदि कर धारा 194-झख के अधीन काटा जाता है किराएदार का टैन दिया जाना अनिवार्य है यदि कर धारा 194-झ के अधीन काटा जाता है			

अनुसूची पूँजी अभिलाभ		पूँजी अभिलाभ				
पूँजी अभिलाभ	अ	अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (अपूअ)(उप-मद 3 और 4 निवासी के लिए लागू नहीं है)				
	अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से(प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथक ब्यौरे भरें)				
	1	क्रय/अर्जन की तारीख /मास/वर्ष		क्रय/अंतरण की तारीख/मास/वर्ष		
		क	i	प्राप्त/प्राप्त योग्य प्रतिफल का कुल मूल्य	काi	
			ii	स्टाम्प मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य	काii	
			iii	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अपनाए गए प्रतिफल का पूर्ण मूल्य [यदि (काii), (काi) से 1.10 गुणा अधिक नहीं होता है तो इस अंक को (काi) लेंगे अन्यथा (काii) लेंगे।	काiii	
	ख	धारा 48 के अधीन कटौती				
		i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत		खाi	

			ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खाii				
				अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खाiii				
			iv	कुल (खा + खाii + खाiii)	खाiv				
		ग		अतिशेष (काiii - खाiv)	1ग				
		घ		धारा 54ख के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	1घ				
		ङ		संपत्ति पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (1ग- 1घ)				अ1ङ	
		च		अचल संपत्ति के अंतरण की दशा में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (टिप्पण देखें)					
			क्रं. सं.	क्रेता (क्रेताओं) का नाम	क्रेता (क्रेताओं) का पैन/ आधार संख्या	प्रतिशत शेयर	रकम	संपत्ति का पता देश कोड, ज़िप कोड	पिन कोड राज्य
				टिप्पण► पैन/ आधार नं. का दिया जाना आज्ञापक है यदि धारा 194-झक के अधीन कर काटा जाता है एक से अधिक क्रेताओं की दशा में संबंधित प्रतिशत शेयर और रकम उपदर्शित करें।					
		2		इकिटि शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख इक्विटी की इकाई से, या कारबार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii) के परंतुक (एफआईआई के लिए) के अधीन एसटी टी संदत्त किया गया है (जहां क 3 लागू नहीं होता है)	जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व हुआ था।	जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् हुआ था।			
		क		प्रतिफल का कुल मूल्य	2क				
		ख		धारा 48 के अधीन कटौती					
			i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खाi				
			ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खाii				
			iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खाiii				
			iv	कुल (i + ii + iii)	खाiv				
		ग		अतिशेष (2क - खाiv)	2ग				
		घ		धारा 94(7) या धारा 94(8) के अधीन अननुज्ञात हानियां उदाहरण के लिए, यदि आस्ति अभिलेख की तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित की गई है और यूनिट का लाभांश/आय या बोनस प्राप्त किया गया है तत्पश्चात् ऐसी आस्तियों के विक्रय से उत्पन्न हानि की अनदेखी होगी (केवल सकारात्मक मूल्य लिखें)	2घ				
		ङ		साधारण शेयर या म्यूचुअल फंड उन्मुख इक्विटी (संदत्त एसटीटी) (2ग+2घ)		2 ङ. i	2 ङ. ii	अ2ङ	
		3		अनिवासियों के लिए, किसी भारतीय कंपनी के शेयर या डिबेंचर का विक्रय प्ररूप एफआईआई में नहीं होगा (धारा 48 के पहले परंतुक के अधीन विदेश मुद्रा के समायोजन के साथ संगणित होगी)					
		क		धारा 111क के अंतर्गत आने वाले संव्यवहारों पर एसटीसीजी (अ 3 का+ अ 3 ii)				अ3क	
		i		जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व हुआ था।					
		ii		जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् हुआ था।					
		ख		क्र.सं. 3क के अंतर्गत न आने वाले शेयरों के विक्रय से या डिबेंचरों के विक्रय से एसटीसीजी				अ3ख	
		4		अनिवासी के लिए-धारा 115कघ के अनुसार एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों (जो अ2 से भिन्न है) के विक्रय से					
		क	i	विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें।					
			क	कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य					
			ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य					
			ग	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर)	ग				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	8	क1-क7 में सम्मिलित एसटीसीजी की रकम, किंतु दावा किया गया है कि कर से प्रभाय नहीं है या डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभाय है											
		क्रम सं.	आय की रकम	ऊपर मद सं. क1 से क7, जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कूट	धनक की मद	संधिके अनुसार दर (यदि प्रभाय नहीं है तो शून्य प्रविष्ट करें)	क्या टीआरसीअभिप्राप्त किया गया है (हां / नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
		I											
		II											
		क	डीटीए के अनुसार भारत में एसटीसीजी की कुल राशिदावा किया गया है कि जो कर प्रभाय नहीं है									क8क	
		ख	डीटीए के अनुसार भारत में एसटीसीजी की कुल राशि दावा किया गया है कि विशेष दरों पर कर प्रभाय है									क8ख	
		अ(अ)	1 अक्टूबर, 2024 को या उसके पश्चात् शेयरों के वापसी क्रय पर पूंजी हानि [अल्पकालिक 20 प्रतिशत या 30 प्रतिशत या लागू दर]										
			केवल तभी दावा किया जा सकता है जब धारा 2(22) (च) के अधीन संबंधित लाभांश आय की प्रस्थापना की जाती है।										
		9	आयकर अधिनियम के अधीन कुल लघु अवधि पूंजी अभिलाभ प्रभाय (क1ड + क2ड + क3क + क3ख + क4ड + क5ड + क6 + क7 - क8क)									क 9	
	आ	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (दीपूअ) (निवासी के लिए उप-मद 5, 6, 7 और 8 लागू नहीं है)											
	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से/क से च तक प्रत्येक संपदा के लिए पृथक ब्यौरे भरें)										
		संनिर्माण की तारीख			दिन/मास/वर्ष			बिक्री/हस्तांतरण की तारीख		दिन/मास/वर्ष			
		क	i	प्राप्त/प्राप्त योग्य प्रतिफल का कुल मूल्य					का				
			ii	स्टांप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य					काii				
			iii	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अपनाए गए प्रतिफल का कुल मूल्य यदि (काii),(का) से 1.10 गुणा अधिक नहीं होता है तो अंक (का) या अन्यथा (काii) लेंगे।					काiii				
		ख	धारा 48 के अधीन कटौती										
			i	सूचीकरण रहित अधिग्रहण की लागत					खा				
			ii	सूचीकरण सहित अधिग्रहण की लागत					खाii				
				(निम्नलिखित के लिए लागू होता है: (अ) 23 जुलाई, 2024 से पहले अंतरण, या (आ) जहां अर्जन 23 जुलाई, 2024 से पहले है और अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् है, वहां धारा 112 (1) (क) के दूसरे परंतुक के अधीन संगणनात्मक प्रयोजनों के लिए निवासी									
		iiख	सूचीकरण के साथ संशोधन की लागत					खाiiख					
			(क) सूचीकरण के बिना संशोधन की लागत										
			(ख) संशोधन वर्ष										
			(ग) सूचीबद्ध के साथ सुधार की लागत										
			(निम्नलिखित के लिए ख और ग लागू होता है: अ) 23 जुलाई, 2024 से पहले अंतरण, या जहां अर्जन 23 जुलाई, 2024 से पहले है और अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् है, वहां धारा 112 (1) (क) के दूसरे परंतुक के अधीन संगणनात्मक प्रयोजनों के लिए निवासी										
			पंक्ति जोड़े										
		iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय					खाiii					
		iv	कुल (जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले है (खाiiक + \sum खाiiख(ग) + खiii; वहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् है \sum खाiiख(क) + खiii)					खाiv					
			योग (ड.अ की संगणना करने के प्रयोजन के लिए ही) (खाiiक + \sum खाiiख(ग) + खiii)										
	ivक	जहां अधिग्रहण 23 जुलाई, 2024 से पहले है और अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् होता है वहां धारा 112(1) (क) के दूसरे परंतुक के अधीन संगणनात्मक प्रयोजनों के लिए निवासियों को लागू होना)											
	ग	अतिशेष (काiii - खiv)					1ग						

गक	अतिशेष (का॥ – खा॥क) जहां अधिग्रहण 23 जुलाई, 2024 से पहले है और अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् होता है वहां धारा 112(1) (क) के दूसरे परंतुक के अधीन संगणात्मक प्रयोजनों के लिए निवासियों को लागू होना) (केवल ड. iआ की संगणना करने के प्रयोजन के लिए) (नकारात्मक की दशा में शून्य समझा जाए)										
	घ	धारा 54 / 54ख/ 54डग/ 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)					1घ				
ड	स्थावर संपत्ति पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (1ग- 1घ)								आ1ड		
ड क	अचल संपत्ति पर दीर्घकालीन पूंजी अभिलाभ (1गक)-(1घ) जहां अधिग्रहण 23 जुलाई, 2024 से पहले है और अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् होता है वहां धारा 112(1) (क) के दूसरे परंतुक के अधीन संगणात्मक प्रयोजनों के लिए निवासियों को लागू होना) (केवल ड. iआ की संगणना करने के प्रयोजन के लिए) (नकारात्मक की दशा में शून्य समझा जाए)								आ 1 ड क		
	जहां अर्जन 23 जुलाई, 2024 से पहले होता है और अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् होता है (केवल निवासियों के लिए) अ- धारा 112 (i) (क) (ii) (1ड. 12.5 प्रतिशत) के अनुसार कर आ- धारा 112(1) (क) (ड.क 20 प्रतिशत) के दूसरे परंतुक के अनुसार कर (टिप्पण))ड. (झझ) में उपेक्षित की जाने वाली आधिक्य रकम का अवधारण करने के लिए है)								आ 1ड.i(अ) आ 1ड.i(आ)		
ड.ii	ऐसी आधिक्य रकम, यदि कोई हो, जिसकी धारा 112 (1)(क) (केवल निवासियों के लिए) के दूसरे परंतुक के अनुसार उपेक्षा की जाती है।								आ 1ड. ii		
	[ख 1 ड.झ(अ)-ख 1ड.झ (आ)]										
च	कृपया अचल संपत्ति के अंतरण की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (टिप्पण देखें)										
	क्र. सं.	क्रेता (क्रेताओं) का नाम	क्रेता (क्रेताओं) का पैन/ आधार	प्रतिशत शेयर	रकम	संपत्ति का पता देश कोड, जिप कोड	पिन कोड	राज्य			
टिप्पण▶ पैन/आधार सं. का दिया जाना आज्ञापक है यदि धारा 194-झक के अधीन कर काटा जाता है एक से अधिक क्रेताओं की दशा में संबंधित प्रतिशत शेयर और रकम उपदर्शित करें।											
छ	जहां अंतरण निम्नलिखित था वहां अचल संपत्ति (ख 1ड.) पर कुल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ:										
	(क) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व (23 जुलाई, 2024 से पूर्व अंतरिम सभी संपत्तियों पर पूंजी अभिलाभों की राशि)								अ 1 छक		
	(ख) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् (23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् अंतरिम सभी संपत्तियों पर पूंजी अभिलाभों की राशि)								अ 1 छक		
	(ग) कुल आधिक्य की उपेक्षा की जाए (ख 1ड.ii)								अ 1 छग		
2	निवासियों के लिए असूचीबद्ध बंध पत्रों या असूचीबद्ध डिबेंचरों (सरकार द्वारा जारी पूंजी सूचीबद्ध बंधपत्र से भिन्न) के विक्रय से (केवल वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व हुआ था)										
	क	प्रतिफल का कुल मूल्य				2क					
	ख	धारा 48 के अधीन कटौती									
	i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत				खा					
		सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत				खii					
		अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय				खiii					
		कुल (खा + खii + खiii)				खiv					
	ग	अतिशेष (2क - खiv)				2ग					
	घ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)				2घ					
	ड	बंधपत्र और डिबेंचर पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (2ग- 2घ)					आ2ड				
	3i	धारा 112 (1) के अनुसार सूचीबद्ध प्रतिभूतियों किसी यूनिट से भिन्न या शून्य कूपन बंधपत्र				अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था	23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था (ii)				
	क	प्रतिफल का कुल मूल्य				3क					
	ख	धारा 48 के अधीन कटौती									
	i	सूचीकरण सहित अर्जन की लागत				खा					
	क	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत (जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था वहां धारा 112 (1) के परंतुक के अनुसार उपेक्षित किए जाने वाले कर आधिक्य की संगणना करने के प्रयोजन के लिए ही लागू है।)									
	ii	सूचीकरण सहित सुधार की लागत				खii					

			ii क	सूचीकरण रहित सुधार की लागत (जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था वहां धारा 112 (1) के परंतुक के अनुसार उपेक्षित किए जाने वाले कर आधिक्य की संगणना करने के प्रयोजन के लिए ही लागू है।)					
			iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii				
			iv	कुल (जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था खाक + खii क+ खiii) (जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था से पहले था खाक + खii क+ खiii)	खiv				
			iv क	कुल (खाक + खii क+ खiii) (धारा 112(1) के परंतुक के अनुसार आधिक्य की संगणना के प्रयोजन के लिए) (वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले किया गया था)					
			ग	अतिशेष (3क-3खiv)	3ग				
			गक	अतिशेष (3क-3खiv क) (धारा 112(1) के परंतुक के अनुसार आधिक्य की संगणना के प्रयोजन के लिए) (वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले किया गया था)	3गक				
			घ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	3घ				
			ड	उपर्युक्त आ3 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ जहां अंतरण (3ग-3घ) था। i 23 जुलाई, 2024 से पहले ii 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात्					आ3ड आ3(i)ड.i आ3 (i)ड. ii
			ड.क	उपर्युक्त आ3 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था (3गक-3घ) (धारा 112 (1) के परंतुक के अनुसार आधिक्य की संगणना करने के प्रयोजन के लिए)					आ3(i) ड.क
			च	(धारा 112(1) (ii) (अ) या धारा 112 (1) (ग) (ii) (अ) के अनुसार कर [एलटीसीजी सूचीकरण के बिना 20 प्रतिशत पर] [आ 3(ड.क) *20 प्रतिशत] (वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)					आआ(i)च
			छ	धारा 112(1) के पहले परंतुक के अनुसार कर [एलटीसीजी सूचीकरण के बिना 10 प्रतिशत पर] [आ 3(ड.क) *10 प्रतिशत] (वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)					आ 3(i)
			ज	आधिक्य रकम जिसे धारा 112 (1) के पहले परंतुक के अनुसार उपेक्षित किया जाना है [आ 3(च) -आ 3(छ)] (वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)					आ 3(i)
			3ii	(i) (सूचीबद्ध प्रतिभागियों) किसी यूनिट से भिन्न या शून्य कूपन बंधपत्र, जहां धारा (1) 112 का परंतुक लागू है	जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था	23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था			
			क	प्रतिफल का कुल मूल्य	3क				
			ख	धारा 48 के अधीन कटौती					
			i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खi				
			ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खii				
			iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii				
			iv	कुल (खi+खii+खiii)	खiv				
			ग	अतिशेष (3क-खiv)	3ग				
			घ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	3घ				
			ड.	उपर्युक्त आ3 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ जहां अंतरण (3ग-3घ) था (i) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व, (ii) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात्					आ3(i) ड. आ 3 (i)ड. i आ 3 (i) ड.ii
			4	कंपनी के साधारण शेयर या साधारण अभिविन्यासित निधि की इकाई या कारबारन्यास जिस पर धारा 112क के अधीन एसटीसीसंदत्त किया जाता है की इकाई के विक्रय से					
			क	धारा 112क के अंतर्गत एलटीसीजी (अनुसूची 112क का कॉलम 14 (iii))	4क				
			i	जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था वहां कॉलम 14 की राशि	4कi				
			ii	जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था	4कii				
			ख	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	4ख				

		i जहाँ अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था वहाँ कॉलम 14 की राशि	4खi				
		ii जहाँ अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था	4खii				
	ग	उपर्युक्त आ 4 पर पूंजी आस्ति के विक्रय पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (4क - 4ख) i जहाँ अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था वहाँ कॉलम 14 की राशि ii जहाँ अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था				ख4ग आ4गi आ4गii	
5		अनिवासियों के लिए, किसी भारतीय कंपनी के शेयर या डिबेंचर का विक्रय से (धारा 48 के पहले परंतु के अधीन विदेश मुद्रा के समायोजन के साथ संगणित होगी)					
	क	सूचीबद्ध फायदों के बिना संगणित एलटीसीजी जहाँ अंतरण था-	5क				
	i	23 जुलाई, 2024 से पहले - सूचीबद्ध डिबेंचर	5कi				
	ii	23 जुलाई, 2024 से पहले - सूचीबद्ध डिबेंचरों से भिन्न	5क ii				
	iii	23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् (केवल असूचीबद्ध शेयर या सूचीबद्ध डिबेंचर)	5क iii				
	ख	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें) i. 23 जुलाई, 2024 से पहले - सूचीबद्ध डिबेंचर ii. 23 जुलाई, 2024 से पहले - सूचीबद्ध डिबेंचरों से भिन्न iii. 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् (केवल असूचीबद्ध शेयर या सूचीबद्ध डिबेंचर)	5ख 5खi 5ख ii 5ख iii				
	ग	शेयर या डिबेंचर पर (5क - 5ख)	आ5ग				
	i	23 जुलाई, 2024 से पहले - सूचीबद्ध डिबेंचर	आ5गi				
	ii	23 जुलाई, 2024 से पहले - सूचीबद्ध डिबेंचरों से भिन्न	आ5ग ii				
	iii	23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् (केवल असूचीबद्ध शेयर या सूचीबद्ध डिबेंचर)				आ5ग iii	
6		अनिवासियों के लिए - (i) धारा 112(1)(ग) के अनुसार गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) धारा 115कग में निर्दिष्ट बंध पत्र या ग्लोबल निक्षेपागार रसीद, (iii) धारा 115कघ में निर्दिष्ट च2 द्वारा प्रतिभूतियां (धारा 112 में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों से भिन्न जिसके लिए स्तंभ आ 7 भरा जाना चाहिए।) टिप्पण- क्रम सं. (iii) के लिए अंतरण की तारीख के आधार पर आय का ब्रेकअप अपेक्षित नहीं है	जहाँ अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था		23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था		
	क	i विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें।					
	क	कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	iक				
	ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य	iiख				
	ग	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर)	iiiग				
	ii	कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii				
	iii	कुल (iग + ii)	क iii				
	ख	धारा 48 के अधीन कटौती					
	i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खi				
	ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खii				
	iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii				
	iv	कुल (खi + खii + खiii)	खiv				
	ग	अतिशेष (6क iii - खiv)	6ग				
	घ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	6घ				
	ङ	अनिवासियों की दशा में उपर्युक्त 6 पर आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (6ग - 6घ)				आ 6ङ	
		(i) जहाँ अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था वहाँ [6(i) और 6(ii) लागू होता है]				आ 6ङi	

		(ii) जहाँ 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था वहाँ [6(i) और 6(ii) लागू होता है]		आ 6डii	
		(iii) धारा 115कघ में यथा निर्दिष्ट एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय से		आ 6डiii	
7		एफआईआई/एफपीआई के लिए (अनिवासियों के लिए)- कंपनी के साधारण शेयर या साधारण अभिविन्यासित निधि की इकाई या कारबार न्यास जिस पर धारा 115कघ के साथ पठित धारा 112 के अधीन एसटीटी का संदाय किया जाता है की इकाई के विक्रय से			
	क	धारा 112क के अंतर्गत एलटीसीजी[अनुसूची 115कघ(1)(iii)परंतुक के स्तंभ 14(iii)] (7कi+7कii)	7क		
		(i) जहाँ अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था वहाँ कॉलम 14 की राशि	7क(i)		
		(ii) जहाँ अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था वहाँ कॉलम 14 की राशि	7क(ii)		
	ख	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरेविनिर्दिष्ट करें)	7ख		
		(i) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व	7ख(i)		
		(ii) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात्	7ख(ii)		
	ग	उपर्युक्त आ 7 पर पूंजी आस्ति के विक्रय पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (7क-7ख)		आ7ग	
		(i) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व		आ8गi	
		(ii) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात्		आ7गii	
8		अनिवासी भारतीयों द्वारा विदेशी मुद्रा आस्तियों के विक्रय से (यदि अध्याय XII-क के अधीन विकल्प दें)			
	क	विदेशी मुद्रा आस्ति(सूचीबद्ध के बिना संगणित) के विक्रय पर एलटीसीजी (धारा 115च के अनुसार) जहाँ अंतरण निम्नलिखित था	8क		
		(i) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व	8कi		
		(ii) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात्	8कii		
	ख	धारा 115च के अधीन कटौती घटाए (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	8ख		
		(i) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व	8खi		
		(ii) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात्	8खii		
	ग	विदेशी मुद्रा आस्तियों के विक्रय पर अतिशेष एलटीसीजी जहाँ अंतरण था (8क- 8ख)		आ 8ग	
		(i) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व		आ 8गi	
		(ii) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात्		आ 8गii	
9		जहाँ उपर्युक्त आ1 सेआ8 तक लागू नहीं है, आस्तियों के विक्रय से	जहाँ अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था	23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था	
	क	i विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें ।			
		क कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	iक		
		ख विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य	iiख		
		ग पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर)	iiiग		
		ii कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	कii		
		iii कुल (iग + ii)	कiii		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौती			
		i सूचीबद्ध सहित अर्जन की लागत 23 जुलाई, 2024 से पहले अंतरण के लिए और सूचीबद्ध के बिना 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् अंतरण के लिए	खi		
		ii सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खii		
		iii अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii		
		iv कुल (खi + खii + खiii)	खiv		
	ग	अतिशेष (9कiii – खiv)	9ग		

10	क	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि							क्या नीचे दिखाए गए पूर्ववर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? □हां□नहीं□लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं हाँ; नहीं; लागू नहीं। (यदि हां, तब नीचे ब्यौरे प्रदान करें)	
		क्रम सं.	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ष में जिसमें कटौती का दावा किया गया	नई अर्जित/निर्मित की गई है	आस्तियां पूर्व वर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित / निर्मित की गई है	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई नई राशि	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभखाता(भ) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि		क्या परिसीमन या वापसी की तारीख 23 जुलाई, 2024 से पूर्व थी
		i	2021-22	54/54च						
		ii	2022-23	54/54ख/54च/54चख						
	iii	2023-24	54/54ख/54च							
	ख	क' से भिन्न, दीर्घअवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि((i+ii))							ख	
	खi. जहां समझे गए पूंजी अभिलाभ23 जुलाई, 2024 से पूर्व उद्भूत हुए हैं							ख i		
	खii. जहां समझे गए पूंजी अभिलाभ23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् उद्भूत हुए हैं							खii		
	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई कुल राशि(कxi+कxii+कxiii+ख)							ख 10		
	(i)23 जुलाई, 2024 से पूर्व							ख 10i		
(ii)23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात्							ख 10ii			
11	दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास धू (अनुसूची पीटीआई भरे) (ख11क1+ख11क2 + ख11ख)							ख 11		
	क1i	धारा 112क के अंतर्गत 10 % की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास					ख11क1			
	क1ii	धारा 112क के अंतर्गत 12.5% की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास					ख 11क1(ii)			
	क2i	धारा 112क के अधीन से भिन्न धाराओं के अंतर्गत 10 % की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास					ख11क 2(i)			
	क2(ii)	धारा 112क के अधीन से भिन्न 12.5% की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास					ख11क2(ii)			
	ख	20 % की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास					ख11ख			
12	एलटीसीजी की राशि ख1-ख11 में शामिल की गई परन्तु दावा किया गया कि कर के लिए प्रभार्य नहीं अथवा डीटीए के अनुसार भारत में विशिष्ट दरों पर प्रभार्य नहीं									
	क्रम सं.	आय की रकम	ऊपर मद सं. ख 1 से ख 11, जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कूट	डीटीए की मद	क्या टीआरसीअभिप्राप्त किया गया है (हां / नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	I									
	II									
	क	एल टी सी जी की कुल रकम जिसका दावा किया गया कि डीटीए के अनुसार कर के लिए प्रभार्य नहीं					ख12क	ख12क		
	ख	एल टी सी जी की कुल रकम जिसका दावा किया गया कि डीटीए के अनुसार विशिष्ट दरों पर कर के लिए प्रभार्य नहीं					ख12ख	ख12ख		
	ख(क)	1 अक्टूबर, 2024 को या उसके पश्चात् शेषों की क्रय वापसी पर पूंजीगत हानि [अनिवासियों के लिए धारा 115कघ के अंतर्गत आने वाले संव्यवहारों के लिए दीर्घकालिक 12.5 %या 10 %]					ख (अ)			
	(केवल तब दावा किया जा सकता है जब धारा 2(22), (च) के अधीन संबंधित लाभंश आय की प्रस्थापना की जाती है)									
	13	आयकर अधिनियम के अधीन प्रभार्य कुल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (आ1ड. +आ2ड्+आ3ड. +आ3iiड.+ आ4ग+ आ5ग. + आ6ड. + आ 7ड. + आ 8ग. + आ 9ड्.+ आ 10 + आ 12क +ख(अ))					ख13			
इ1	पूंजीगतअभिलाभ की राशि-आय (नीचे सारणी ड. के 11ii+11iii+ 11iv+11v+11vi+11vii+11viii+11ix+x							इ1		
इ2	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय (अनुसूची वीडिए के स्तंभ 7)							इ2		
इ3	पूंजीगत लाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (इ1+ इ2)							इ3		
ई	पूंजी अभिलाभ के विरुद्ध दावा की गई कटौती के संबंध में सूचना									
धारा 54 / 54ख/ 54डग/ 54च/ 115केअधीन निम्नलिखित ब्यौरे दीजिए										

क		धारा 54 के अधीन दावा की गई कटौती			
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	का	दिन / मास / वर्ष	
	ii	नए आवासीय घर की लागत	क ii		
	iii	नए आवासीय गृह के क्रय / संनिर्माण की तारीख	क iii	दिन / मास / वर्ष	
	iv	सम्यक् तारीख से पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	क iv		
	(ivक)	निक्षेप की तारीख	(ivख)	लेखा संख्याक	(ivग)आईएफएस कोड
		दिदि/मामा/वाईवाई 2			
	v	दावा की गई कटौती की रकम	क v		
ख		धारा 54ख के अधीन दावा की गई कटौती			
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	खा	दिन / मास / वर्ष	
	ii	नई कृषि भूमि की लागत	ख ii		
	iii	नए कृषि भूमि के क्रय करने की तारीख	ख iii	दिन / मास / वर्ष	
	iv	सम्यक् तारीख से पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	ख iv		
	(ivक)	निक्षेप की तारीख	(ivख)	लेखा संख्याक	(ivग)आईएफएस कोड
		दिदि/मामा/वाईवाई			
	v	दावा की गई कटौती की रकम	ख v		
ग		धारा 54डग के अधीन दावा की गई कटौती			
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	गi	दिन / मास / वर्ष	
	ii	विनिर्दिष्ट / अधिसूचित बंधपत्रों में विनिधान की गई रकम (पचास लाख रुपए से अनधिक)	ग ii		
	iii	विनिधान की तारीख	ग iii	दिन / मास / वर्ष	
	iv	दावा की गई कटौती की रकम	ग iv		
घ		धारा 54चके अधीन दावा की गई कटौती			
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	घi	दिन / मास / वर्ष	
	ii	नए आवासीय घर की लागत	घii		
	iii	नए आवासीय गृह के क्रय / संनिर्माण की तारीख	घiii	दिन / मास / वर्ष	
	iv	सम्यक् तारीख से पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	घiv		
	(ivक)	निक्षेप की तारीख	(ivख)	लेखा संख्याक	(ivग)आईएफएस कोड
		दिदि/मामा/वाईवाई			
	v	दावा की गई कटौती की रकम	घv		
ड		धारा 115च के अधीन दावा की गई कटौती (अनिवासी भारतीयों के लिए)			
	i	मूल विदेशी मुद्रा आस्ति के अंतरण की तारीख	डा	दिन / मास / वर्ष	
	ii	नई विनिर्दिष्ट आस्ति या बचत प्रमाणपत्र में विनिधान की गई रकम	डii		
	iii	विनिधान की तारीख	डiii	दिन / मास / वर्ष	
	iv	दावा की गई कटौती की रकम	डiv		
च		कुल दावाकृत कटौती (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ड)		च	

			उ चालू वर्ष के पूंजी अभिलाभ के साथ वर्तमान वर्ष की पूंजी हानि का मुजरा (अ8क और आ12क में शामिल रकमों को छोड़कर, जो डीटीए के तहत चार्जबल नहीं हैं।)											
		क्रम सं.	पूंजी अभिलाभ का प्रकार	चालू वर्ष का पूंजी अभिलाभ (यदि गणनात्मक अंक घनात्मक है तो केवल इसे भरें)	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ हानि					घकालिक पूंजी अभिलाभ हानि				मुजराई के पश्चात् चालू वर्ष का अतिशेष पूंजी अभिलाभ (9=1-2-3-4-5-6-7-8)
					15%	20%	30%	लागू दर	डीटीए दरें	10%	12.50%	20%	डीटीए दरें	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	i	पूँजी हानि जिसका मुजरा किया जाना है (केवल यह पंक्ति भरें यदि संगणित अंक नकारात्मक है)		(अ2ड1*+ अ3क1*+ अ7क1*)	(आ2ड.ii* +अ3कii* +अ7कii* कii*)	(आ4ड*+ आ7ख*+ आ(आ))	(आ1ड*+ अ3ख+ आ5ड*+ आ6+ आ7+ *अ(आ))	अ8ख	आ3(ii)ड1*+ आ4ड1*+ आ5गii*+ आ6ड.iii*+ आ7ड.1*+ आ8ग1*+ आ11क1(i)*+ आ11अ2(ii)*+ आ(अ)	आ1छख*8+ आ3(i)ड.ii*+ आ4गii*+ आ5डगii*+ आ6ड.ii*+ आ7गii*+ आ8गii*+ आ9ड.ii*+ आ10ii*+ आ11क2(ii)*+ आ(अ))	(आ1गक*+ आ3(i)ड.1*+ आ2ड.*+ आ5ग1*+ आ9ड.(i)*+ आ10i* + आ11ख*)	आ12ख
	ii	अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ	15%	(अ2ड1+ अ3क1+ अ7क1)								
	iii		20%	अ2ड.ii+अ3 कii+अ7कii+अ(अ)								
	iv		30%	अ4ड + अ7ख								
	v		लागू दर	(अ1ड+अ3ख+ अ5ड+ अ6+ अ7ग+अ(अ))								
	vi		डीटीए दरें	अ8(2)								
	vii	दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ	10%	(आ3(ii)ड1*+आ4ग + आ5गii+आ6ड1 +आ6ड.iii+आ7ग1 + आ8ग1+ आ11क1(i)+ आ11क2(i)+आ(अ))								
	viii		12.50%	(आ)चख+अ3(i)डii + आ4गii+आ5गiii +आ6ड.ii+आ7गii +आ8गii+आ9ड.ii +आ10ड+ आ11क1(ii) +अ11क2(ii) +आ9ड+ आ10 +आ11क2(ii) +अ(अ))								
	ix		20%	(आ1छक+आ2ड. +आ3(i)ड.(i)+ आ5ग(i)+आ9ड.i +आ10i+अ11ख)								
	x		डीटीए दरें	आ12ख								
	xi	कुल हानि मुजरा (ii + iii + iv + v + vi+vii+viii+ix+x)										
	xii	मुजरा के पश्चात् शेष हानि (i -xi)										
इस सारणी में एसटीसीजी के अंक(अ1ड.*आदि) संबंधित स्तंभ (अ1-अ7) में संगणित एसटीसीजी की रकम हैं वैसे ही प्रतिभूतियों के साथ मुजरा किए जाने के पश्चात् आता है और जो डीटीएस के अनुसार एसटीसीजी की रकम को घटा कर आता है जो कर से प्रभाव्य नहीं है या विशेष दरों पर प्रभाव्य हैं, जिसे इसमें सम्मिलित किया गया है, यदि कोई हो।												
इस सारणी में एसटीसीजी के अंक(अ1ड.*आदि) संबंधित स्तंभ (आ11-अ7) में संगणित एसटीसीजी की रकम हैं वैसे ही प्रतिभूतियों के साथ मुजरा किए जाने के पश्चात् आता है और जो डीटीएस के अनुसार एसटीसीजी की रकम को घटा कर आता है जो कर से प्रभाव्य नहीं है या विशेष दरों पर प्रभाव्य हैं, जिसे इसमें सम्मिलित किया गया है, यदि कोई हो।												

ऊ	प्रोद्घवन की जानकारी/पूँजी अभिलाभ की रसीद					
	पूँजी अभिलाभ का प्रकार/तारीख	15 / 6 तक (i)	16 / 6 से 15 / 9 (ii)	16 / 9 से 15 / 12 (iii)	16 / 12 से 15 / 3 (iii)	16 / 3 से 31 / 3 (iv)
1.	15% की दर पर कर देय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3iii से मूल्य लिखें					
2.	20 % की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए, यदि कोई हो, की 3iiiख से मूल्य प्रविष्ट करें।					
3.	30% की दर पर करदेय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3iv से मूल्य लिखें					
4.	लागू दर पर करदेय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3v से मूल्य लिखें					
5.	डी.टी.ए.ए दरों पर प्रभाव्य अल्पकालिक पूँजीगत अभिलाभ अनुसूची बी.एफ.एल.ए की मद 3vi से मूल्य दर्ज करें, यदि कोई हो।					
6.	10% की दर पर करदेय दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3vii से मूल्य लिखें					
7.	12.5% की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए, यदि कोई हो, की 3viiiख से मूल्य प्रविष्ट करें।					
8.	20% की दर पर करदेय दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3viii से मूल्य लिखें					

		9.	डी.टी.ए.ए. दरों पर प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजीगत अभिलाभ अनुसूची बी.एफ.एल.ए की मद 3ix से मूल्य दर्ज करें, यदि कोई हो।						
		10.	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण पर पूंजीगत अभिलाभ पर 30% की दर से प्रभार्य अनुसूची एस.आई की मद 16 से मूल्य दर्ज करें (यदि कोई हो)						
टिप्पण▶			कृपया इस शीर्ष के अधीन आय को प्रमाणित करते समय एसपीआई अनुसूची में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति-पत्नी, अवयस्क बालक आदि) की आय सम्मिलित करें						

अनुसूची 112क		एक कंपनी में इकिटी शेयर की बिक्री अथवा निधि उन्मुख इकिटी की यूनिट अथवा एक बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट से जिन पर धारा 112क के अंतर्गत एसटीटी का भुगतान किया गया													
क्र म सं.	अर्जित शेयर/ इकाई 31 जनवरी, 2018 को या उसके पहले या पश्चात्	23 जुलाई, 2024 से पहले/ को या उसके पश्चात्	आईएस आईएन कोड	शेयर/ यूनिट का नाम	प्रति शेयर/ यूनिट की संख्या	प्रति शेयर / यूनिट बिक्री मूल्य	प्रतिफल का पूरा मूल्य, यदि शेयर्स 31.01.2018 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य) (4*5) यदि शेयर्स 31.01.2018 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं।	8 एवं 9 के उच्चतर इंडेक्सेशन के बिना अधिग्रहण की लागत	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घावधि पूंजीगत संपत्ति 01 फरवरी, 2018 से पूर्ण अर्जित की गई थी-6 तथा 11 का कम	31 जनवरी, 2018 की स्थिति के अनुसार प्रति शेयर यूनिट उचित बाजार मूल्य	धारा 55(2) (क) के अनुसार पूंजीगत संपत्ति का कुल उचित बाजार मूल्य - (4*10)	अंतरण के संबंध में पूर्णतः विशेष रूप से व्यय	कुल कटौतियां (7+12)	शेष (6-13)आई टीआर की एलटीसीजी अनुसूची की मद 4(क)
(कॉलम 1)	(कॉलम 1क)	(कॉलम 1ख)	(कॉलम 2)	(कॉलम)	(कॉलम)	(कॉलम 5)	(कॉलम 6)	(कॉलम 7)	(कॉलम 8)	(कॉलम 9)	(कॉलम 10)	(कॉलम 11)	(कॉलम 12)	(कॉलम 13)	(कॉलम 14)
1															
2															
3															
4															
पंक्ति जोड़े															
(i)	जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले हुआ था														
(ii)	जहां अंतरण 27 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया गया था, वहां कॉलम 14 का कुल योग														
(iii)	धारा 112 क के अधीन एलटीसीजी का योग														

115कघ(1)(ख)(iii) परन्तुक		अनिवासियों के लिए-एक कंपनी में इकिटी शेयर अथवा निधि उन्मुख इकिटी की यूनिट अथवा बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट की बिक्री से जिन पर धारा 115कघ (1)(ख)(iii) परन्तुक के साथ पठित धारा 112क के अंतर्गत एसटीटी का भुगतान किया गया													
क्र म सं.	अर्जित शेयर/ इकाई 31 जनवरी, 2018 को या	23 जुलाई, 2024 से पहले/ को या उसके पश्चात्	आईएस आईएन कोड	शेयर/ यूनिट का	शेयर/ यूनिटों की संख्या	प्रति शेयर/ यूनिट बिक्री मूल्य	प्रतिफल का पूरा मूल्य, यदि शेयर्स	8 एवं 9 के उच्चतर इंडेक्सेशन के	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घावधि पूंजीगत संपत्ति 01 फरवरी,	31 जनवरी, 2018 की	धारा 55(2) (क) के अनुसार पूंजीगत संपत्ति का कुल	अंतरण के संबंध में	कुल कटौतियां (7+12)	शेष (6-13)आई टीआर की एलटीसीजी

	उसके पहले या पश्चात्	अंतरित शेयर/यूनिट		नाम			31.0 1.20 18 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य) (4*5) यदि शेयर्स 31 जनवरी 2018 के बाद अर्जित किए गए हैं, कृपया प्रतिफल का पूरा मूल्य प्रविष्ट करें।	बिना अधिग्रहण की लागत		2018 से पूर्ण अर्जित की गई थी-6 तथा 11 का कम	स्थिति के अनुसार प्रति शेयर यूनिट उचित बाजार मूल्य	उचित बाजार मूल्य – (4*10)	पूर्णतः विशेष रूप से व्यय		अनुसूची की मद 4(क)
(कॉलम 1)	(कॉलम 1क)	(कॉलम 1 ख)	(कॉलम 2)	(कॉलम 3)	(कॉलम 4)	(कॉलम 5)	(कॉलम 6)	(कॉलम 8)	(कॉलम 9)	(कॉलम 10)	(कॉलम 11)	(कॉलम 12)	(कॉलम 13)	(कॉलम 14)	
1															
2															
3															
4															
पंक्ति जोड़े															
(i)	जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले हुआ था														
(ii)	स्तंभ 14 का योग														
(iii)	जहां अंतरण 23 जुलाई, 3024 को या उसके पश्चात् किया गया था, वहां कॉलम 14 का कुल योग														
	धारा 115 कघ(i)(ख) (iii) परंतुक के साथ पठित														
	धारा 112 के अधीन कुल एलटीसीजी का योग														

अनुसूची वीडिए	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय (टिप्पण: ऐसे प्रत्येक संव्यवहार के ब्यौरे भरे जाएं जिसमें प्रत्येक 'अंतरण' एक संव्यवहार					
क्रम सं.	अधिग्रहण की तारीख	अंतरण की तारीख	पूँजी अभिलाभ का प्रकार (अल्पकालिक/ दीर्घकालिक)	अधिग्रहण की लागत उपहार के मामले में धारा (2)(56x) के अधीन राशि जिस पर कर चुकता किया गया है दर्ज करें।	प्राप्त प्रतिफल	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति अंतरण से आम(हानि के मामले में शून्य दर्ज करें) (स्तंभ 6 - स्तंभ 5)
(स्तंभ 1)	(स्तंभ 2)	(स्तंभ 3)	(स्तंभ 4)	(स्तंभ 5)	(स्तंभ 6)	(स्तंभ 7)
सम्मिलित पंक्तियां						

कुल (स्तंभ 7 की समस्त सकारात्मक आय की राशि)	(अनुसूची सी जी. का मद संग 2)
---	------------------------------

अनुसूची-अन्य स्रोत		अन्य स्रोतों से आय	
1	सामान्यतया लागू दरों पर कर से प्रभार्य सकल आय (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)	1	
	क लाभांश, सकल (का + क ii + क iii)	1क	
	i (i) और (iii) से भिन्न लाभांश आय	का	
	ii धारा 2(22)(ड) के अधीन लाभांश आय	क ii	
	iii धारा 2(22)(च) के अधीन लाभांश आय	क iii	
	ख ब्याज, सकल (खा + ख ii + ख iii + ख iv + ख v + ख vi + ख vii + ख viii + ख ix)	1ख	
	i बचत बैंक से नीचे	खा	
	ii निक्षेप (बैंक/पोस्ट ऑफिस/कापरेटिव) से	ख ii	
	iii आयकर प्रतिदाय से	ख iii	
	iv आय/क्षति के जरिए पास की प्रकृति में	ख iv	
	v धारा 10(11) के प्रथम परंतुक के अनुसार भविष्य निधि में कर योग्य सीमा तक योगदान पर अर्जित ब्याज	ख v	
	vi धारा 10(11) के द्वितीय परंतुक के अनुसार भविष्य निधि में कर योग्य सीमा तक योगदान पर अर्जित ब्याज	ख vi	
	vii धारा 10(12) के प्रथम परंतुक के अनुसार भविष्य निधि में कर योग्य सीमा तक योगदान पर अर्जित ब्याज	ख vii	
	viii धारा 10(12) के द्वितीय परंतुक के अनुसार भविष्य निधि में कर योग्य सीमा तक योगदान पर अर्जित ब्याज	ख viii	
	ix अन्य	ख ix	
	ग मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय	1ग	
	घ अन्य, सकल (दौड़ के घोड़ों के स्वामिस्व से हुई आय को छोड़कर) स्तुत का उल्लेख करें (घा + घ ii + घ iii + घ iv + घ v)	1घ	
	i प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का समग्र मूल्य	घा	
	ii यदि स्थावर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई है, संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घ ii	
	iii यदि स्थावर संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घ iii	
	iv प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घ iv	
	v यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घ v	
	ङ कोई अन्य आय (कृपया प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	1ङ	
	क्र.सं.	प्रकृति	राशि
	1	पारिवारिक पेंशन	
	2	धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	
	3	धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश के अतिरिक्त देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	
	4	धारा 89क के अधीन गत वर्ष के दौरान प्रभार्य आय पर अन्य पूर्ववर्ती वर्ष में छूट का दावा किया गया	
	5	पूर्व वर्ष के दौरान धारा 56(2) (xiii) में निर्दिष्ट किसी कारबार न्यास के किसी यूनिट धारा द्वारा प्राप्त हुई कोई विनिर्दिष्ट राशि	
	6	पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय धारा 56(2) (xiii) में निर्दिष्ट किसी जीवन बीमा पालिसी के अधीन प्राप्त हुई कोई राशि, जिसके अंतर्गत लाभांश के रूप में आबंटित रकम भी	
		यथा अपेक्षित पक्तियां जोड़ी जा सकती हैं	
	2 विशेष दरों पर प्रभार्य आय (2का + 2क ii + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ क्रम सं. 1 से संबंधित तत्व)	2	
	का लाटरी, क्रास वर्ड, पहेली, दौड़, कार्ड खेल आदि से जीत, धारा 115खख के अधीन प्रभार्य	2का	
	क ii धारा 115खख के अधीन प्रभार्य ऑनलाइन खेलों से जीत द्वारा आय	2क ii	
	ख धारा 115खखड. के अधीन प्रभार्य आय (ख i + ख ii + ख iii + ख iv + ख v + ख vi)	2ख	
	i धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	ख i	
	ii धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	ख ii	
	iii धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	ख iii	
	iv धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	ख iv	

				v	धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खv			
				vi	धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	खvi			
				ग	धारा 111 के अधीन कराधेयमान्यताप्राप्तभविष्य निधि का संचित अधिशेष			2ग	
					क्र सं.	निर्धारण वर्ष	आय अभिलाभ	कर अभिलाभ	
					(i)	(ii)	(iii)	(iv)	
				घ	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय, (घ) से घxx का योग)			2घ	
				i	अनिवासी (कंपनी नहीं होते हुए) या विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश कंपनी धारा 115 क(1) (क) (i), धारा 115 क(1) (क) (अ) के परंतुक के सिवाय अधीन प्रभार्य	घi			
				ik	अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या किसी अंतराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में किसी यूनिट, विदेशी कंपनी जो धारा 80 ठक की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट है, धारा 115क(1)(क)(अ) के परंतुक के अधीन प्रभार्य, प्राप्त हुआ लाभांश	घik			
				ii	सरकार या विदेशी करेंसी ऋणों पर भारतीय समुत्थान से प्राप्त ब्याज धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य	घ ii			
				iii	अवसंरचना ऋण निधि से प्राप्त ब्याज धारा 115क(1)(क)(iiक) के अधीन प्रभार्य	घ iii			
				lv	धारा 194 ठग(1) में निर्दिष्ट ब्याज धारा 115 क (1)(क)(iiकक) @ 5% के अधीन प्रभार्य	घ iv			
				v	धारा 194 ठघ में निर्दिष्ट ब्याज धारा 115क(1)(क)(iiकख) के अधीन प्रभार्य	घ v			
				vi	धारा 194ठखक में निर्दिष्ट ब्याज होते हुए वितरित आय धारा 115क(1)(क)(iiकग) के अधीन प्रभार्य	घ vi			
				vii	धारा 115क (1) (क) (iii) के अधीन प्रभार्य विदेशी करेंसी में खरीदे गए धारा 10 (23घ) में विनिर्दिष्ट यूटीआई इकाई या अन्य म्यूचल निधियों से आय	घ vii			
				viii	सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए रायल्टी या फीस से आय धारा 115क(1)(ख)(क) एवं 115ख(1)(ख)(ख) के अधीन प्रभार्य	घ viii			
				ix	धारा 115कग के अधीन प्रभार्य- अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में खरीदे गए बांड पर ब्याज से आय	घ ix			
				X	धारा 115कग के अधीन प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में खरीदे गए जी.डी.आर पर लाभांश के रूप में आय	घ x			
				xi	निवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जी.डी.आर से लाभांश के रूप में आय - धारा 115कगक के अधीन प्रभार्य	घ xi			
				xii	प्रतिभूतियों(लाभांश के अतिरिक्त) (धारा 115कख में निर्दिष्ट इकाइयों से भिन्न) के संबंध में एफआईआई द्वारा प्राप्त आय - धारा 115कख(1)(i)	घ xii			
				xiii	धारा 194ठघ में निर्दिष्ट बंध पत्र या सरकारी प्रतिभूतियों पर एफआईआई द्वारा प्राप्त ब्याज के रूप में आय - धारा 115कघ(1) (i) के परंतुक के अनुसार प्रभार्य	घ xiii			
				xiv	धारा 115खखक के अधीन प्रभार्य- अनिवासी खिलाड़ियों या खेल संघ द्वारा प्राप्त आय	घ xiv			
				Xv	कतिपय मामलों में अनाम दान धारा 115खखग के अधीन प्रभार्य	घ xv			
				xvi	धारा 115क(1)(अ)(iiकक) के अधीन प्रभार्य 4 प्रतिशत की दर से धारा 194 थग(1) के परंतुक में संदर्भित ब्याज	घ xvi			
				xvii	भारत में विकसित और रजिस्ट्रीकृत पेटेंट से रायल्टी के रूप में आय - धारा 115खख च के अधीन प्रभार्य	घ xvii			
				xviii	कार्बन जमा के अंतरण के रूप में - आय धारा 115खखछ के अधीन प्रभार्य	घxviii			
				xix	अनिवासी भारतीय की निवेश आय - धारा 115ड. के अधीन प्रभार्य	घxix			
				Xx	किसी एफ आई आई द्वारा प्रतिभूतियों के संबंध में लाभांश के रूप में आय (धारा 115कख) में निर्दिष्ट यूनिटों के से भिन्न)-धारा 115 कघ(1)(i) के अधीन प्रभार्य	घxx			
				ड	विशेष दरों पर प्रभार्य के रूप में दावा की गई अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में निकासी आय (ड्रापडाउन उपबंधित करें)			2ड	
				च	उपरोक्त 1 और 2 में रकम सम्मिलित है, जो डीटीएए के अनुसार भारत में विशिष्ट दरों पर प्रभार्य के रूप में दावा की गई है (स्तंभ (2) का योग नीचे दी गई टेबल में है)			2च	

				क्रम सं.	आय की रकम	मद सं. 1क, 1कiii 1ख से 2 में जो सम्मिलित किया गया है	देश का नाम और कूट	धनक की मद	संघि के अनुसार दर (कुछ नहीं दर्ज करें, यदि प्रभार्य नहीं है)	क्या टीआरसी अभिप्राप्त किया गया है (हां / नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 10 में से निम्नतर)
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				I									
				II									
3 धारा 57 के अधीन कटौतियां (2क, 2ख और 2घ के अधीन विशेष दर पर प्रभार्य आय से संबंधित से भिन्न)													
				क	व्यय/कटौतियां कii से भिन्न (पारिवारिक पेंशन से भिन्न मामले में)						3क		
				कii	धारा 57(i) के अधीन लाभांश पर ब्याज व्यय (यदि आय 1क(i) और /या 1क(ii) में प्रस्तुत केवल तभी उपलब्ध)						3कii		
				कiii	धारा 57(1) के अधीन योग्य ब्याज व्यय-कलित राशि						3कiii		
				कiii	धारा 57(ii) के अंतर्गत कटौती (केवल पारिवारिक पेंशन के मामले में)						3कiii		
				ख	अवक्षयण (सभी उपलब्ध यदि आय अनुसूची ओएस की 1ग में प्रस्तुत की गई)						3ख		
				ग	योग						3ग		
4 धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम													4
5 धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ													5
5क धारा 89 क के अधीन करारधान से राहत हेतु आय का दावा													5क
6 [1 (डीटीएए से संबंधित आय कम करने के बाद) - 3 + 4 + 5 - 5क] सामान्यता लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय (यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीवाईएलए की 3i का अंक लें)													6
7 अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2 + 6) (यदि हानि हो तो 6 को शून्य लिखें)													7
8 दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव से आय													
				क	प्राप्तियां						8क		
				ख	केवल 8 क पर प्राप्तियों के संबंध में धारा 57 के अधीन						8ख		
				ग	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम						8ग		
				घ	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ						8घ		
				ड	अतिशेष (8क - 8ख + 8ग + 8घ) (यदि ऋणात्मक है तो हानि की दशा में अनुसूची अग्रणीत हानियों 6xii के अंक प्रविष्ट करे)						8ड		
9 "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (7 + 8ड) (यदि ऋणात्मक है तो 8ड में शून्य लिखें)													9
10 अन्य स्रोतों से आय के प्रोद्भव या प्राप्तियों के बारे में सूचना													
				क्रम सं.	अन्य स्रोतों से आय		15/6 तक	16/6 से 15/9 तक	16/9 से 15/12 तक	16/12 से 15/3 तक	16/3 से 31/3 तक		
							(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)		
				1	धारा 2(24)(ix) में संदर्भित लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पहली, घुड़दौड़ खेल, जुआ, सट्टाबाजी से जीत पर आय								
				2	धारा 115खखज के अधीन ऑनलाइन खेलों से जीत द्वारा आय								
				3क	क्रम सं. में संदर्भित लाभांश पर आय								
				3ख	क्रम सं. 1क(iii) में संदर्भित लाभांश पर आय								
				4	धारा 115क(1)(क)(i) के अधीन, धारा 115क(1)(क)(अ) के परंतुक से भिन्न, 20% की दर से लाभांश आय (पी टी आई आय शामिल)								
				5	धारा 115क(1)(क)(अ) के परंतुक के अधीन 10% की दर से लाभांश आय (जिसके अंतर्गत पीटीआई आय भी सम्मिलित है)								

	6	धारा 115कगके अधीन 10% की दर से लाभांश आय							
	7	धारा 115कगक (1)(क) के अधीन 10% की दर से लाभांश आय (पी टी आई आय शामिल)							
	8	धारा 115कघ (1)(i) के अधीन 20% की दर से धारा 115कघ (1)(i) में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त एफ.आई.आई की लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)							
	9	डी.टी.ए.ए.दरों पर प्रभार्य लाभांश आय							
	10	धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश में रखे गए सेवा निवृत्ति लाभ खाते से आय (धारा 89 क के अधीन राहत घटाने के पश्चात् कर योग्य भाग)							
टिप्पण▶		कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की गणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति-पत्नी, अवयस्क बालक आदि) की आय सम्मिलित करें।							

अनुसूची चालू वर्ष की हानि समायोजन			चालू वर्ष की हानियों के मुजरा के पश्चात् आय का ब्यौरा			
चालू वर्ष की हानि समायोजन	क्रम सं.	आय का शीर्ष/ स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तंभ को तभी भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो)	चालू वर्ष की गृहसंपत्ति की हानि को छोड़ना	सामान्य लागू दरों से प्रभार्यअन्य स्रोतों से कुल हानि (रेस के घोड़ो से हानि से भिन्न) का वर्तमान वर्ष में मुजरा	मुजरे के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय
			1	2	3	4=1-2-3
	i	हानि छोड़ना → (इस पंक्ति को भरे यदि प्रगणित अंक नकारात्मकहै)		(अनुसूची गृहसंपत्ति का 3)	(अनुसूची अन्य स्रो त का 6)	
	ii	वेतन	(अनुसूची वेतन का 6)			
	iii	गृहसंपत्ति	(अनुसूची गृहसंपत्ति का 3)			
	ivक	15% की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड की 11ii)			
	ivख	20 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड. का 11 iii			
	v	30% की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का11iv)			
	Vi	लागू दर पर कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का11v)			
	vii	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का11vi)			
	Viiiक	10% की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का11vii)			
	Viiiख	12.5% की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का11viii)			
	Ix	20% की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का11ix)			
	X	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का11(x))			
	Xi	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्यअन्य स्रोतों से कुल आय	(अनुसूची ओएस का16)			
	Xii	रेस के घोड़े के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची ओएस का 8ड)			
	xiii	भारत में डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर कराधेय अन्य स्रोतों से आय	(अनुसूची ओएस का 2च)			

	xiv	मुजरा की कुल हानि (ii+iii+ivक+ivख+v+vi+vii+viik+viiiख+ix+x+xi+xii+xiii)			
	xv	मुजरा करने के पश्चात बाकी हानि (i - xiv)			

अनुसूची - अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन			पूर्ववर्षों की अग्रनीत की गई हानियों के मुजरा के पश्चात् आय का ब्यौरा			
अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन	क्रमसं.	आय का शीर्ष/स्रोत	अनुसूची-चालू वर्ष की हानियों का समायोजन के 4 के अनुसार चालू वर्ष की हानियों के मुजरे, यदि कोई हो, के पश्चात आय	अग्रनीत की गई हानियों का मुजरा	मुजरे के पश्चात चालू वर्ष की शेष आय	
			1	2	3	
	i	वेतन	(अनुसूची सीवाईएलए का 4ii)			
	ii	गृहसंपत्ति	(अनुसूची सीवाईएलए का 4iii)	(अग्रनीत यदि गृहसंपत्ति हानि है)		
	iii क	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4iv क)	(अग्रनीत यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)		
	iii ख	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4iv ख)	(अग्रनीत यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)		
	iv	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4v)	(अग्रनीत यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)		
	v	लागू दर पर कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4vi)	(अग्रनीत यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)		
	vi	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4vii)	(अग्रनीत यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)		
	vii क	10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4vii क)	(अग्रनीत यदि अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी हानि है)		
	viii ख	12.5 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4viii ख)	(अग्रनीत यदि अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी हानि है)		
	viii	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4viii)	(अग्रनीत यदि अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी हानि है)		
	ix	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4x)	(अग्रनीत यदि अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी हानि है)		
	X	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 4xi)			
	Xi	रेस के घोड़े के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4xii)	(अग्रनीत यदि घुड़ दौड़ से हानि है)		
	Xii	भारत में डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर अन्य कराधेय स्रोतों से आय	अनुसूची सीवाईएलए की 4xiii			
	xiii	अग्रनीत की गई कुल हानि मुजरा (2ii + 2iii क + 2iii ख 2iv + 2v + 2vi + 2vii क + 2vii ख + 2viii + 2ix + xi + 2xi + 2xii)				
	xiv	मुजरे के पश्चात शेष चालू वर्ष की आय-योग (3i + 3ii + 3iii क + 3iii ख + 3iv + 3v + 3vi + 3vii क + 3vii ख + 3viii + 3ix + 3x + 3xi) + 3xii)				

अनुसूची- अग्रनीत हानि		आगामी वर्षों के लिए अग्रनीत की जाने वाली हानियों का ब्यौरा					
नुकसान को आगे ले जाना	क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	फाइल करने की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)	गृहसंपत्ति हानि	अल्पकालिक पूंजी हानि	दीर्घकालिक पूंजी हानि	रेस के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव से हानि
		1	2	3	4	5	6
	I	2017-18					
	li	2018-19					
	iii	2019-20					
	iv	2020-21					
	v	2021-22					
	vi	2022-23					
	vii	2023-24					
	viii	2024-25					
	ix	पूर्व वर्ष की हानियों का योग					

x	अनुसूची अग्रणीत हानि लेखा में उपरोक्त हानियों का समायोजन	(अनुसूची बीएफएलएका 2ii)			(अनुसूची बीएफएलएका 2xi)
xi	2025-26 (चालू वर्ष की हानियाँ)	(अनुसूची सीवाईएलएका 2xiv)	(अनुसूची सीजी के मद ड) (2xii + 3xii + 4xii + 5xii) + 6xii	अनुसूची सीजी की मद ड का (7xii + 8xii + 9xii + 10xii)	(अनुसूची ओएस का 8ड, यदि – नकारात्मक)
xii	आगामी वर्षों के लिए अग्रणीत कुल हानि				

अनुसूची- VI क		अध्याय VI- क के अधीन कटौतियाँ			
कुल कटौतियाँ	1	भाग ख- कतिपय संदायों की बाबत कटौती			
	क	80ग (ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है।)	ख	80गगग (ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है।)	
	ग	80 गगघ (1) (ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है।)	घ	80 गगघ (1ख) (ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है।)	
	ङ	80 गगघ (2) (ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है।)	च	80घ (ब्यौरों को ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित नीचे की और भरा जाएगा)	
	छ	80घघ	ज	80घघख 80घ (ब्यौरों को ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित नीचे की और भरा जाएगा)	
	झ	80ङ (ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है।)	ञ	80ङ-ङ (ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है।)	
	ट	80ङ-ङक (ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है।)	ठ	80ङ-ङख (ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है।)	
	ड	80छ	ढ	80छछ (ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है।)	
	ण	80छछक	त	80छछग	
	2	भाग ग-कतिपय आयों की बाबत कटौती			
	थ	80थथख (ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है।)	द	80ददख (ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है।)	
	ध	80ननक	न	80ननख	
	प	80प	पक	80गगज	
	पख	ई-फाइलिंग अपयोजित के अनुसार कोई अन्य कटौती (ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है।)			
	फ	अध्याय VI- क के अधीन कुल कटौतियाँ (क से पख का योग)			

अनुसूची 80छ		धारा 80 छ के अधीन कटौतियों के लिए हकदारदानों के ब्यौरे				
दान के ब्यौरे	क	बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदारदान				
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम		दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान
		i				
		ii				
		iii	कुल			
	ख	बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदारदान				
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम		दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान
		i				
		ii				
		iii	कुल			
	ग	अर्हता सीमा के अधधीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदारदान				
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम		दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान
		i				
		ii				
		iii	कुल			
	घ	अर्हता सीमा के अधधीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदारदान				
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	ए.आर.एन (संदान संदर्भ संख्या)	दान की रकम	
					नकद में संदान	अन्य रीति में संदान
		i				
		ii				
		iii	कुल			
	ङ	कुल दान (कiii + खiii + गiii + घiii)				

अनुसूची 80छछक		वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए संदान के ब्यौरे				
क्र. सं.	सुसंगत खंड जिसके अधीन कटौती का दावा किया गया है (ड्राप डाउन उपबंधित करें)	दाता का नाम और पता	दाता का पैना	संदान की रकम		संदान के लिए पात्र रकम
				नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान
i						
ii						
	कुल संदान					

अनुसूची 80छछग		राजनैतिक दलों द्वारा किए गए अभिदाय का ब्यौरा				
क्रम सं.	तारीख	अभिदाय की रकम		अभिदायपात्र रकम	यूपीआई अंतरण या चेक संख्या/आईएमपीएस/एनईएफटी/आरटीजीएस के लिए संव्यवहार संदर्भ संख्या	बैंक का आई एफ एस कोड
		नकद में अभिदाय	अन्य माध्यम में अभिदाय	कुल अभिदाय		
i						

	(पंक्ति जोड़े)						
	कुल अभिदाय						

अनुसूची 80घघ	आश्रित का चिकित्सकीय उपचार जो नियोग्य व्यक्ति है, सहित अनुरक्षण के संबंध में कटौती का ब्यौरा							
नियोग्यता की प्रकृति	आश्रित का प्रकार	आश्रित का पैना	आश्रित का आधार	प्ररूप 10।क के फाइलिंग की तारीख	फाइल किए गए प्ररूप 10।क की अभिस्वीकृति संख्या	नियम 11क (2) (ii) (यदि लागू हो) के अनुसार प्ररूपअभिस्वीकृति संख्या	यूडीआईडी संख्या(यदि उपलब्ध हो)	रकम
1.नियोग्यता के साथ आश्रित व्यक्ति 2.गंभीर नियोग्यता के साथ आश्रित व्यक्ति	1. पति या पत्नी 2. पुत्र 3. पुत्री 4.पिता 5.माता 6.भाई 7.बहन 8. एचयूएफ का सदस्य (एचयूएफ की दशा में)							

अनुसूची 80प	अयोग्य व्यक्ति की दशा में कटौती का ब्यौरा				
नियोग्यता की प्रकृति	प्ररूप 10।क के फाइलिंग की तारीख	फाइल किए गए प्ररूप 10।क की अभिस्वीकृति संख्या	नियम 11क (2) (ii) (यदि लागू हो) के अनुसार प्ररूपअभिस्वीकृति संख्या	यूडीआईडी संख्या(यदि उपलब्ध हो)	रकम
1. स्वयं से नियोग्यता 2. स्वयं की गंभीर अयोग्यता					

अनुसूची-अनुकल्पिक न्यूनतम कर		धारा 115जघ के अधीन अनुकल्पिक निम्नतर संदेय कर की संगणना			
1	भाग-ख- कुल आय के मद 12 के अनुसार कुल आय	1			
2	धारा 115ग(2)के अनुसार समायोजन				
	क शीर्ष "ग-कतिपय आय के संबंध में कटौतियां " के अधीन अध्याय 6क में सम्मिलित किसी धारा के अधीन दावा की गई कतिपय कटौती	2क			
3	धारा 115जग(1)के अधीन समायोजित कुल आय(1 + 2क)	3			
4	धारा 115जग के अधीन कर संदेय [(3) का 18.5%] (यदि 3, 20 लाख रुपए से अधिक है)	4			

अनुसूची-अनुकल्पिक न्यूनतम कर प्रत्यय		धारा 115जघ के अधीन कर जमा की संगणना				
1	निर्धारणवर्ष 2025-26(भाग-ख-कुल करआय का 1घ) में धारा 115जग के अधीन कर	1				
2	निर्धारणवर्ष 2025-26(भाग-ख-कुल करआय का 7) में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर	2				
3	कर की रकम जिस पर जमा उपलब्ध है [(2-1) को प्रविष्ट करें यदि 2, 1 से अधिक है, अन्यथा शून्य प्रविष्ट करें]	3				
4	उपलब्ध अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा, का उपयोग (चालू वर्ष में अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा की रकम का उपयोग ऊपर वर्णित 3 में अधिकतम रकम जितना है और अग्रणीत जमा अनुकल्पिक निम्नतम कर से अधिक नहीं हो सकेगा)					
क्र.सं.	निर्धारण वर्ष (क)	अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा			चालू वर्ष के दौरान अनुकल्पिक निम्नतर कर का उपयोग	अग्रणीत अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा अतिशेष (घ)=(ख3)-(ग)
		सकल (ख1)	पूर्वतर वर्षों में मुजरा (ख2)	अग्रणीत अतिशेष (ख3)=(ख1)-(ख2)		
i	2013-14					
ii	2014-15					
iii	2015-16					
iv	2016-17					

	v	2017-18					
	Vi	2018-19					
	Vii	2019-20					
	Viii	2020-21					
	ix	2021-22					
	x	2022-23					
	xi	2023-24					
	xii	2024-25					
	xiii	चालू निर्धारण वर्ष (1-2, प्रविष्ट करें, यदि 1,2 से अधिक है नहीं तो शून्य लिखें)					
	xiv	योग					
5	वर्ष के दौरान धारा 115कघ के अधीन जमा की रकम का उपयोग [मद सं. 4(ग) का कुल ट						5
6	पश्चात्तर्ती निर्धारण वर्षों में जमा के लिए उपलब्ध अनुकल्पिक निम्नतर कर के दायित्व की रकम [4(घ) का योग]						6

अनुसूची-विनिर्दिष्ट व्यक्ति की आय		विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति-पत्नी, अवयस्क बालक, आदि) की आय जो धारा 64 के अनुसार निर्धारित की आय में सम्मिलित करने योग्य है												
क्रम सं.	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का स्थायी खाता संख्या/ आधार संख्या										संबंध	रकम(रु.)	आय का शीर्ष जिसमें सम्मिलित किया गया
1														
2														
3														

अनुसूची-विशेष आय						
विशेष आय	क्रमसं.	धारा	<input type="checkbox"/>	विशेष दर (%)	आय i	उस पर कर ii
	1	111-पूर्व वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त भविष्य का संचयित शेष	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओ.एस का 2गiii)	(अनुसूची ओ.एस का 2गiv)
	2क	111क अथवा धारा 115कघ(1)(ख)(ii)- परन्तुक (उन शेयर पर एस.टी.सी.जी जिन पर एस.टी.टी भुगतान किया गया)[जहां अंतरण लागू किए गए अनुसार 23 जुलाई, 2024 से पहले था]	<input type="checkbox"/>	15	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 3iiiक का भाग)	
	2ख	धारा 111क या धारा 115कघ 115कघ(1)(ख)(ii)- परन्तुक (उन शेयर पर एस.टी.सी.जी जिन पर एस.टी.टी भुगतान किया गया)[जहां अंतरण लागू किए गए अनुसार 23 जुलाई, 2024 को था या उसके पश्चात् था]	<input type="checkbox"/>	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 3iiiख का भाग)	
	3	115कघ (प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई के लिए एस.टी.सी.जी जहां एस.टी.टी का संदाय नहीं किया गया है)	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 3iv)	
	4क	धारा 112(1) का परन्तुक (सूचीबद्ध प्रतिभूतियों/सूचीकरण के बिना यूनिट पर एल.टी.सी.जी) [जहां अंतरण यथा लागू 23 जुलाई, 2024 से पहले था और अनुसूची सीजी के क्रम संख्यांक आ3(i)(ज) को ध्यान में रखने के पश्चात् उस पर कर (यदि कोई हो)	<input type="checkbox"/>	20 (जो अनुसूची गख के आ 3(i) (ज) को घटाकर आए, यदि कोई हो)	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3viii का भाग)	
	4ख	112 (1) (सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी) [जहां अंतरण यथा लागू 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात्]	<input type="checkbox"/>	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3viख का भाग)	

5क	112(1)(ग)(iii) (असूचीबद्ध प्रतिभूतियों या सूचीबद्ध डिबेंचरों से भिन्न पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी [जहां अंतरण यथा लागू 23 जुलाई, 2024 से पहले था]	□	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए.के 3vi का भाग)	
5ख	112(1)(ग)(iii) (असूचीबद्ध प्रतिभूतियों या सूचीबद्ध प्रतिभूति से भिन्न पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी [जहां अंतरण यथा लागू 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था]	□	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए.के 3vii ख का भाग)	
6क	115कग (बंधपत्रों/जी.डी.आर पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी [जहां अंतरण यथा लागू 23 जुलाई, 2024 से पहले था]	□	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए.के 3vii क का भाग)	
6ख	115कग (बंधपत्रों/जी.डी.आर पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी [जहां अंतरण यथा लागू 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था]	□	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए.के 3vii ख का भाग)	
7क	115कगक (विनिर्दिष्ट कंपनी के किसी कर्मचारी के लिए जीडीआर पर एलटीसीजी [जहां अंतरण यथा लागू 23 जुलाई, 2024 से पहले था]	□	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए.के 3vii क का भाग)	
7ख	115कगक (विनिर्दिष्ट कंपनी के किसी कर्मचारी के लिए जीडीआर पर एलटीसीजी [जहां अंतरण यथा लागू 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था]	□	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए.के 3vii क का भाग)	
8	115कघ (प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई के लिए एल.टी.सी.जी)	□	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए.के 3vii क का भाग)	
9क	115ड विनिर्दिष्ट विदेशी विनिमय आस्ति पर अनिवासी भारतीय के लिए एल.टी.सी.जी	□	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए.के 3vii क का भाग)	
9ख	115ड विनिर्दिष्ट विदेशी विनिमय आस्ति पर अनिवासी भारतीय के लिए एल.टी.सी.जी [जहां अंतरण यथा लागू 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था]	□	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए.के 3vii ख क का भाग)	
10क	112 (अन्य के लिए एल.टी.सी.जी) जहां अंतरण/आयोजन 23 जुलाई, 2024 से पहले था	□	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए.के 3viii का भाग)	
10ख	112 (अन्य के लिए एल.टी.सी.जी) जहां अंतरण/आयोजन 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था और अनुसूची गछ के क्रम संख्यांक आ 1ड.ii को हिसाब में लेने के पश्चात् उस पर कर, यदि कोई हो	□	12.5 (अनुसूची गछ का आ 1ड.ii से घटाकर आय के अनुसार, यदि कोई हो)	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए.के 3vii ख का भाग)	
11क	112क या धारा 115कघ(1)(iii)-परन्तुक (शेयरों या इकाइयों जिस पर एसटीटी संदत्त किया जाता है के विक्रय पर एलटीसीजी) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था]	□	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए.के 3vii क का भाग का भाग)	
11ख	112क या धारा 115कघ(1)(iii)-परन्तुक (शेयरों या इकाइयों जिस पर एसटीटी संदत्त किया जाता है के विक्रय पर एलटीसीजी) [जहां अंतरण यथा लागू 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था]	□	12.5 (अनुसूची गछ का आ 1ड.ii से घटाकर आय के अनुसार, यदि कोई हो)	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए.के 3vii ख का भाग)	
12	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य एसटीसीजी	□		(अनुसूची बी.एफ.एल.ए.के 3vi का भाग)	
13	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य एलटीसीजी	□		(अनुसूची बी.एफ.एल.ए.के 3ix का भाग)	
14क	115खख (लाटरी, वर्गपहेली, दौड़, खेल आदि से जीत)	□	30	(अनुसूची ओ.एस.का 2क का भाग)	
14ख	115खखज (आनलाइन गेम से जीत)	□	30	(अनुसूची ओ.एस.का 2कii)	
15	115खखड (धारा 68, 69, 69क, 69ख, 69ग या धारा 69घ के अधीन आय)	□	60	(अनुसूची ओ.एस.का 2ख)	
16	115खखज (आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय पर कर)	□	30	(अनुसूची सी.जी.का ग2)	
17	115खखच (पेटेंट से आय पर कर)	□	10	(अनुसूची ओ.एस.का 2घ का भाग)	
18	115खखझ (कार्बन प्रत्ययों के अंतरण से आय पर कर)	□	10	(अनुसूची ओ.एस.का 2घ का भाग)	

19	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय (ई-फाइलिंग उपयोगिता में ड्राप डाउन उपबंधित करें)	□		(अनुसूची ओ.एस का 2घका भाग)
20	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य आय के अन्य स्रोत	□		(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 3xii का भाग)
21क	15% की पर प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय	□	15	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3iii का भाग)
21ख	20% की पर प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय	□	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vii ख का भाग)
22	30% की पर प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय	□	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3iv का भाग)
23क	धारा 112क के अंतर्गत 10 % की दर से प्रभार्य दीर्घवधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास	□	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vii क का भाग)
23ख	धारा 112क के अधीन 12.5 प्रतिशत की दर पर प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय		12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vii ख का भाग)
24क	धारा 112क से भिन्न धाराओं के अंतर्गत 10 % की दर से प्रभार्य दीर्घवधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास	□	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 3vii क का भाग)
24ख	धारा 112क के अधीन से भिन्न धारा के अधीन 12.5 प्रतिशत की दर पर प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय	□	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vii ख का भाग)
25	20% की पर प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय	□	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3viii का भाग)
26	विशेष दर पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में निकासी आय (ई-फाइलिंग उपयोगिता में ड्राप डाउन दिया जाना है)	□		(अनुसूची ओ.एस का 2ड)
कुल				

अनुसूची-छूट प्राप्त आय		छूट प्राप्त आय के ब्यौरे (कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाने वाली या कर से अप्रभार्य आय)							
छूट प्राप्त आय	1	ब्याज से आय						1	
	2	i	शुद्ध कृषि आय(आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न)				i		
		ii	कृषि पर उपगत व्यय				ii		
		iii	पूर्व आठ कर-निर्धारण वर्षों का अनआमेलित कृषि हानि				iii		
		iv	वर्ष (i-ii-iii) के लिए शुद्ध कृषि आय (यदि हानि है तो शून्य निर्दिष्ट करें)					2	
		v	यदि किसी वर्ष के लिए कुल कृषि आय पांच लाख से अधिक है, तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (प्रत्येक कृषि भूमि के लिए पृथक ब्यौरे भरें)						
			क	पिन कोड के साथ जिले का नाम जहां कृषि भूमि अवस्थित है					
			ख	कृषि भूमि का एकड़ में माप					
			ग	क्या कृषि भूमि पट्टे पर स्वामित्वाधीन या धारित है ((ड्राप डाउन उपबंधित करें)					
			घ	क्या कृषि भूमि सिंचित है या वर्षा द्वारा पोषित है (ड्राप डाउन उपबंधित करें)					
3	अन्य छूट प्राप्त आय (जिसके अंतर्गत अवयस्क बालक की छूट प्राप्त आय भी सम्मिलित है)							3	
4	डीटीए के अनुसार कर पर अप्रभार्य दावा की गई आय								
	क्रमसं.	आय की रकम	आय की प्रकृति	देश का नाम और कोड	डीटीए की मर्दे	आय के शीर्ष	क्या टीआरसी प्राप्त किया गया है (हां/नहीं)		
	I								
	II								
	III	कर से अप्रभार्य दावा किए गए डीटीए से कुल आय						4	
5	कर पर दावा किए गए अप्रभार्य निकासी आय (पीटीआई अनुसूची)							5	
6	योग (1+2+3+4+5)							6	

अनुसूची पीटीआई

धारा 115 प, धारा 115पक, और 115पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पासश्रू से आय के ब्यौरे

पास के माध्यम से आय	क्रम	धारा 115प, 115पक/115पख द्वारा सम्मिलित निवेश	कारबार न्यास / विनिवेश निधिका नाम	कारबार न्यास / विनिधान निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	चालू वर्ष आय	निवेश कोष द्वारा वितरित चालू वर्ष क्षति का हिस्सा	शुद्ध आय/ क्षति (7-8)	ऐसी रकम पर स्त्रोत पर कर कटौती , यदि कोई हों	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	1.	(ड्राप डाउन प्रदान किया जाना है)			i	गृह संपत्ति					
					ii	पूंजी अभिलाभ					
						क	अल्पकालिक अवधि				
						का	धारा 111क				
						काii	अन्य				
						ख	दीर्घकालिक अवधि				
						खा	धारा 112क				
						खाii	धारा 112क के अतिरिक्त				
					iii	अन्य स्त्रोत					
						क	लाभांश				
						ख	अन्य				
					iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी					
						क	धारा 10(23चखख)के अधीन				
						ख	धाराके अधीन				
						ग	धारा.....के अधीन				
	2.				i	गृह संपत्ति					
					ii	पूंजी अभिलाभ					
						क	अल्प कालिक अवधि				
						का	धारा 111क				
						काii	अन्य				
						ख	दीर्घ कालिक अवधि				
						खा	धारा 112क				
						खाii	धारा 112क के अतिरिक्त				
					iii	अन्य स्त्रोत					
						क	लाभांश				
						ख	अन्य				
					iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी					
						क	धारा 10(23चखख)के अधीन				
ख						धाराके अधीन					
ग						धारा.....के अधीन					
टिप्पणः	इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्देशित करें।										

अनुसूची एफएसआई		भारत के बाहर से आय और कर राहत के ब्यौरे (निवासी के मामले में उपलब्ध)							
क्रम सं.	देश का कोड (ई फाइलिंग में उपबंधित ड्रापडाउन प्रदान किया जाना है)	कर दाता की पहचान संख्या	क्रमसं.	आय के शीर्ष	भारत के बाहर से आय (भागख-ना में शामिल)	भारत के बाहर संदत्त कर	भारत में साधारण उपबंधोंके अधीन ऐसी आय पर संदेय कर	भारत में उपलब्ध कर राहत (च)=(ग) या (घ)इनमें से जो भी कम हो	यदि राहत का दावा धारा 90 या 90क के अधीन किया गया है तो डीटीए का सुसंगत अनुच्छेद
				(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)
1			i	वेतन					
			ii	गृह संपत्ति					
			iii	पूँजी अभिलाभ					
			iv	अन्यस्त्रोत					
			कुल						
2			i	वेतन					
			ii	गृह संपत्ति					

टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को देखें।

अनुसूची टी.आर		भारत से बाहर संदत्त करें के लिए दावा की गई कर राहत का सारांश (निवासी के मामले में उपलब्ध)			
1	दावा की गई कर राहत का सारांश				
	देश का कोड	करदाता की पहचान संख्या	भारत से बाहर संदत्त कुल कर (प्रत्येक देश की बाबत अनुसूची एफएसआई के (ग) का योग)	कुल उपलब्ध कर राहत (प्रत्येक देश की बाबत अनुसूची एफएसआई के (ड) का योग)	धारा के अधीन दावा की गई कर राहत(धारा 90, 90क या 91 विनिर्दिष्ट करें)
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)
		कुल			
2	उस देश की बाबत उपलब्ध कर राहत जहां डीटीए लागू होता है (धारा 90 / 90क)(1(घ)योग का भाग)			2	
3	उस देश की बाबत उपलब्ध कर राहत जहां डीटीए लागू होता है(धारा 91)(1(घ)योग का भाग)			3	
4	क्या भारत से बाहर किसी कर का संदाय किया गया है, जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात की गई थी,का प्रतिदाय/प्रत्यय विदेशी कर प्राधिकारी द्वारा वर्ष के दौरान किया गया है ? यदि हां,तो नीचे ब्यौरे दें।			4	हां/नहीं
	क प्रतिदाय किए गए कर की रकम		ख वह निर्धारण वर्ष,जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात की गई है		
टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को देखें।					

[illegible]

विदेशी आस्तियों के ब्यौरे

31 दिसंबर, ,2024 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई द्वारा धारित विदेशी साधारण और ऋण ब्याज के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)

क्र.सं.

देश का नाम

देश का कोड

इकाई का नाम

इकाई का पता

जिप कोड

इकाई की प्रकृति

हित अर्जित करने की तारीख

निवेश का आरंभिक मूल्य

अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष

अंतमूल्य

अवधि के दौरान धृति के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम

अवधि के दौरान विक्रय से कुल आगम या निवेश का कुल सकल मोचन

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(i)

(ii)

अ4

31 दिसंबर, ,2024 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)

क्र.सं.

देश का नाम

देश का कोड

वित्तीय संस्था जिसमें बीमा संविदा की गई का नाम

वित्तीय संस्था का पता

जिप कोड

संविदा की तारीख

संविदा का नकद मूल्य या अभ्यर्पितमूल्य

अवधि के दौरान संविदा के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(i)

(ii)

ख

31 दिसंबर, ,2024 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई में धारित वित्तीय हित के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)

क्र.सं.

देश का नाम और कोड

जिप कोड

अस्तित्व की प्रकृति

अस्तित्व का नाम और पता

ब्याज की प्रकृति- सीधे / फायदा प्रदस्वामी / हिताधिकारी

रखने की तारीख से

कुल विनिधान (लागतपर) (रु.में)

ऐसे ब्याज से प्रोदभूत आय

आय की प्रकृति

इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज

(1)

(2)

(2क)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(i)

(ii)

ग

31 दिसंबर, , 2024 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय अचल संपत्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)

क्र.सं.

देश का नाम और कोड

जिप कोड

संपत्तिका पता

स्वामित्व-सीधे फायदा प्रदस्वामी/हिताधिकारी

अर्जन की तारीख

कुल विनिधान(लागतपर) (रु.में)

संपत्ति से प्राप्त आय

आय की प्रकृति

इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज

(1)

(2)

(2क)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(i)

(ii)

घ	31 दिसंबर, 2024 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय कोई अन्य पूंजी आस्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)													
	क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	आस्ति की प्रकृति	स्वामित्व-सीधे फायदा प्रदस्वामी/हिताधिकारी	अर्जनकीतारीख	कुल विनिधान (लागतपर) (रु.में)	संपत्ति से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज				
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या		
	(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
	(i)													
(ii)														
ङ	31 दिसंबर, 2024 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय खाता (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं किए गए हैं।													
	क्र.सं.	संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है	संस्था का पता	देश का नाम तथा कोड	जिप कोड	खाता धारक का नाम	खाता संख्या	वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष / विनिधान (रु.में)	क्या आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है	यदि (7) हां है तो खाते में प्रोदभूत राशि	यदि (7) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय	क्र.सं.	संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है	
											राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
	(1)	(2)	(3)	(3क)	(3ख)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	(i)													
	(ii)													
	च भारत से बाहर देश की विधि के अधीन बनाए गए न्यासों का ब्यौरे जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या अवस्थापक हैं।													
	क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	न्यास का नाम और पता	न्यासियों के नाम और पते	वस्थापक का नाम और पता	हिताधिकारियों के नाम और पते	जब से पद संभाला है उसकी तारीख	क्या आपके पास प्रोदभूत आय का कराधेय है	यदि (8) हां में है, तो न्यास से प्राप्त आय	यदि (8) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय	राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
	(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	(i)													
	(ii)													
	छ भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरा जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है													
	क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है।	यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय						
								राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या				
	(1)	(2)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
(i)														
(ii)														
कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। व्यष्टि होने की दशा में भारतीय नागरिक न होने पर जो कि कारबार, नियोजन या छात्र वीजा पर भारत में है, पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आस्ति जिसमें वह अनिवासी था, कोई स अनुसूची में रिपोर्ट करना आज्ञापक नहीं है यदि चालू पूर्व वर्ष के दौरान उस आस्ति से कोई आय प्राप्त नहीं हुई														

अनुसूची-5क		पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित पति या पत्नी की आय के प्रभाजन से संबंधित जानकारी			
पति/पत्नी की नाम					
पति/पत्नी का स्थायी खाता संख्या / आधार संख्या					
	आय के शीर्ष	शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियां	पति/ पत्नी में रकम का प्रभाजन	(ii)पर आय पर कटौती किया गया टीडीएस की रकम	पति या पत्नी द्वारा प्रभाजित टीडीएस
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1	गृह संपत्ति				
2	पूंजीलाभ				
3	अन्य स्त्रोत				
4	कुल				

अनुसूची कठ

वर्ष के अंत में आस्ति और दायित्व (यह उस दशा में लागू होगा जहां कुल आय 1 करोड़ से अधिक हो)

आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे

क	स्वावर आस्ति के ब्यौरे			
क्र. सं.	वर्णन	पता	पिनकोड	रकम (लागत) में रुपए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(i)				
(ii)				
ख	जंगम आस्ति के ब्यौरे			
क्र. सं.	वर्णन	रकम (लागत) में रुपए		
(1)	(2)	(3)		
(i)	आभूषण, सोना-चांदी, आदि			
(ii)	पुरातत्वीय संग्रह, रेखाचित्र, रंगचित्र, मूर्ति या कला का कोई कार्य			
(iii)	यान, क्रीड़ा-नौका, नौका और वायुयान			
(iv)	वित्तीय आस्ति	रकम (लागत) में रुपए		
	(क) बैंक (जिसके अंतर्गत सभी जमा राशि भी है)			
	(ख) शेयर और प्रतिभूति			
	(ग) बीमा पालिसी			
	(घ) दिए गए ऋण और अग्रिम			
	(ङ) हाथ में नकदी			
ग	आस्ति के संबंध में दायित्व (क+ख)			

टिप्पण▶

कृपया इस अनुसूची के भरे जाने के लिए अनुदेश निर्दिष्ट करें ।.

अनुसूची: ई.एस.ओ.पी पर कर स्थगन		कर स्थगन से संबंधित सूचना- कर स्थगन से संबंधित सूचना धारा 17(2)(vi) में संदर्भित नियोक्ता से प्राप्त आय में जोड़ा जाने वाला अनुलाभ, धारा 80-दकग में संदर्भित स्टार्ट-अप होने के नाते						
संदाय स्टार्टअप होने पर नियोक्ता का पैना								
नियोक्ता का डीपीआईआईटी रजिस्ट्रीकरण संख्या								
विवरण	क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	कर स्थगन की राशि पूर्ववर्ती निर्धारण से आगे लायी गई	गत वर्ष के दौरान प्रासंगिक चालू निर्धारण वर्ष में से निम्नलिखित घटनाएं हुई हैं?				अगले निर्धारण वर्षों में कर स्थगन की शेष राशि स्तंभ (3-7)
				ऐसे निर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वेट इकिटी शेयर बेचे गए (i)पूर्णतया (ii)आंशिक (iii)नहीं बेचे गए स्तंभ 3के ऐसे बिक्री का कर गुण का तारीख व राशि का वर्णन करें (उपयोगिता के अनुसार प्रदत्त विवरण)	नियोक्ता के कर्मी होने से वंचित जिसने ऐसे विनिर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वेटइकिटी शेयर को आर्बिट्रिट या हस्तांतरित किया ? o हां o नहीं यदि हां, तारीख बताएं	उक्त खंड में संदर्भित विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेट इकिटी शेयर उस प्रासंगिक निर्धारण वर्ष जिसमें शेयर आर्बिट्रिट किए गए उसके अंत से अड़तालीस माह बीत चुके हैं, यदि हां, तारीख बताएं	चालू निर्धारण वर्ष में कर योग्य राशि (स्तंभ 3 या 4 से कलन जैसा भी मामला हो)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	2021-22	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8				(निर्धारण वर्ष2026-27में सक्षम) (भुगतान वित्त वर्ष 2025-26में देय)		

2	2022-23	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8					
3	2023-24	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8					
4	2024-25	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8					
5.	2025-26	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8					

भाग-ख

भाग ख- कुल आय		कुल आय की संगणना						
कुल आय	1	वेतन(अनुसूची वेतन का 6)					1	
	2	गृहसंपत्ति से आय(अनुसूची गृ.सं. का 3)(यदि हानि है तो कुछ नहीं लिखें)					2	
	3	पूँजी अभिलाभ						
	क	लघुअवधि						
		i	क लघु अवधि प्रभार्य @ 15% (अनुसूची पू.अ.का मदड का11ii)			का		
		i	ख लघु अवधि प्रभार्य @ 20% (अनुसूची पू.अ.का मदड का11iii)					
		ii	लघु अवधि प्रभार्य @ 30% (अनुसूची पू.अ.का मदड का11iv)			काii		
		iii	लागू दर पर लघु अवधि प्रभार्य(अनुसूची पू.अ.का मदड का11v)			काiii		
		iv	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची गछ के मद ड का 9vi)			काiv		
		v	कुल लघु अवधि (काक + काख + काii + काiii+काiv) (शून्य हानि प्रविष्ट करें)			3कv		
	ख	दीर्घ अवधि						
		i	क दीर्घ अवधि प्रभार्य @ 10% (अनुसूची पू.अ.का मदडका11अपप)			खा		
		i	ख दीर्घ अवधिप्र भार्य @ 12.5% (अनुसूची पू.अ.का मदडका11viii)					
		ii	दीर्घ अवधि प्रभार्य @ 20% (अनुसूची पू.अ.का मदडका11ix)			खाii		
		iii	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची गछ के मद ड का 11)			खाiii		
	iv	कुल दीर्घ अवधि (खाक+खाख+खाii + खाiii) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)			3खiv			
	ग	अल्पकालिक/दीर्घकालिक पूंजीगत अभिलाभ की राशि (3कv + 3खiv)(यदि हानि तो शून्य दर्ज करें)					3ग	
	घ	धारा 115खखज के अधीन 30% की दर से प्रभार्य पूंजीगत अभिलाभ (अनुसूची सीजी का ग 2)					3घ	
	ङ	कुल पूंजीगत अभिलाभ(3ग + 3घ)					3ङ	
	4	अन्य स्रोतों से आय						
	क	सामान्यतया लागू दरों पर कर से प्रभार्यअन्य स्रोतों से कुल आय (अनुसूचीणध का 6) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)			4क			
		ख	प्रभार्य योग्य आयपर विशेष दर पर कर(अनुसूची असो का 2)			4ख		

	ग	दौड़ के घोड़े के स्वामित्व और अनुरक्षण के क्रियाकलापों से आय(अनुसूची णध का 8ड) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)	4ग		
	घ	योग (4क + 4ख + 4ग) (यदि हानि है तो कुछ नहीं लिखें)		4घ	
5		शीर्षवार कुल आय (1+2+3ड+4घ)		5	
6		5 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली चालू वर्ष की हानियां(अनुसूची चालू वर्ष की हानि समा.के 2xivऔर 3xivकायोग)		6	
7		चालू वर्ष की हानियों के मुजरे के पश्चात् अतिशेष (5-6)(अनुसूची चालू वर्ष की हानि समायोजन +2 अनुसूची सीवाईएलएस्तंभ 4 का योग)		7	
8		7 के सामने मुजरा किए जाने के लिए अग्रनीत की गई हानियां(अनुसूची अग्रनीत हानि समा. का 2xii)		8	
9		सकल कुल आय (7-8) (अनुसूची अग्रनीत हानि समा.+ 2का 3xiv)		9	
10		धारा 111क, 112, 112क आदि के अधीन आय प्राभार्य के लिए विशेष दर पर कर में 9 सम्मिलित है		10	
11		अध्याय 6के अधीन कटौतियां(अनुसूची VIककाब और 9-10 के लिए सीमित)		11	
12		कुल आय(9-11)		12	
13		आय जो 12 में सम्मिलित है और विशेष दरों पर कर से प्राभार्य(अनुसूची धझ में स्तंभ(इ)का योग)		13	
14		शुद्ध कृषि आय/दर के प्रयोजन के लिए कोई अन्य आय(अनुसूची छूट प्राप्त आय का 3)		14	
15		'संकलित आय' (12-13+14)[लागू होगा यदि(12-13) अधिकतम रकम जिस पर कर प्राभार्य न हो, से अधिक हो]		15	
16		अग्रनीत किए जाने के लिए चालू वर्ष की हानियां(अनुसूची अग्रनीत हानि का xi कुल पक्तियां)		16	
17		धारा 115ब ग के अधीन समझी गई आय (अनुसूची एमएमटी का 3)		17	

भाग ख-कुल आय पर कर दायित्व		कुल आय पर कर दायित्व की संगणना				
करदायित्व की संगणना	1	क	धारा 115 जग के अधीन समझी गई कुल आय पर संदेय कर(अनुसूची का अनुकल्पितभ्रतर कर का 4)	1क		
		ख	(क) परअधिभार (यदि लागू है)	1 ख		
		ग	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (1क + 1ख) उपर	1 ग		
		घ	समझी गई कुल आय पर संदेय कुल कर (ह) उपर(1क + 1ख + 1 ग)		1 घ	
	2		कुल आय पर संदेय कर			
		क	भाग ख-कुल आय के 15 पर सामान्य दरों पर कर		2क	
		ख	विशेष दरों पर कर(अनुसूची विशेष आय का (ii)का कुल)		2ख	
		ग	कृषि आय पर छूट [लागू होगा यदि भाग ख कुल आय के (12-13)अधिकतम रकम जिस पर कर प्राभार्य न हो,से अधिक हो]		2ग	
		घ	कुलआय पर संदेय कर (2क + 2ख - 2ग)		2घ	
	3		धारा 87क के अधीन रिबेट		3	
	4		रिबेट के पश्चात संदेय योग्य कर(2घ- 3)		4	
	5		अधिभार			
		i	अनुसूची धझ के 15(ii) के 25%	5i		
		ii	10% या 15% पर लागू (निर्दिष्ट करें)	5ii		
		iii	अनुसूची धझ के [(4) - 15(ii) पर उपर्युक्त 5(ii) में संदर्भित आय पर कर]]	5iii		
		iv	कुल (i+ii+iii)		5iv	
	6		(3 + 4iv) पर 4 प्रतिशत की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा सेस(3 + 5iv)		6	
	7		सकल कर दायित्व (4 + 5iv + 6)		7	

	8	कुल कर संदेय (1घ और 7 से कुछ कम)				8	
	8क	धारा 17(2)(vi) में संदर्भित 80आई.ए.सी में संदर्भित स्टार्ट-अप पात्र होने के नाते नियोक्ता से प्राप्त अभिलाभ से आय को शामिल किए बिना आय पर कर (8 - 8ख)				8क	
	8ख	धारा 80 आई.ए.सी में संदर्भित स्टार्ट-अप पात्र होने के नाते धारा 17(2) में संदर्भित नियोक्ता से प्राप्त अभिलाभ पर आय से संबंधित आस्थगित कर				8ख	
	8ग	गत वर्षों से कर स्थगन किंतु चालू नि.व. के दौरान देय (ई.एस.ओ.पी. पर अनुसूची कर स्थगन का स्तंभ 7 का कुल योग)				8ग	
	9	पूर्वतर वर्षों में कर संदत्त की धारा 115जघ के अधीन जमा (केवल तभी लागू होगा यदि 7, 1घ से उच्चतम हो) (अनुसूची एएमटी की पंक्ति 5)				9	
	10	धारा 115 जघ के अधीन मुजरा के बाद कर संदेय (8क - 9)				10	
	11	कर राहत					
		क	धारा 89 (कृपया फार्म 10इ प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें)		11क		
		ख	धारा 90 या 90क (अनुसूची टीआर का 2)		11ख		
		ग	धारा 91 (अनुसूची टीआर का 3)		11ग		
		घ	योग (11क + 11ख + 11ग)		11घ		
	12	सकल कर दायित्व (10 - 11घ) (यदि नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				12	
	13	ब्याज और संदेय फीस					
		क	विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234क)		13क		
		ख	अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234ख)		13ख		
	ग	अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234 ग)		13ग			
	घ	आय की विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए (धारा 234घ)		13घ			
	ङ	कुल संदेय ब्याज (13क + 13ख + 13ग + 13घ)			13ङ		
	14	संकलित दायित्व (12 + 13ङ)				10	
संदत्त कर	15	संदत्त कर					
		क	अग्रिम कर (20क के स्तंभ 5 से) टीडीएस		15क		
		ख	स्रोत पर कटौती किया गया कर (20ख के स्तंभ 5 और 20ग के स्तंभ 9 का योग)		15ख		
		ग	स्रोत पर कर कटौती (20घ के स्तंभ 7(i) का योग)		15ग		
		घ	स्वनिर्धारण कर (20क के स्तंभ 5 से)		15घ		
	ङ	संदत्त कुल कर (15क + 15ख + 15ग + 15घ)			15ङ		
	16	संदेय कर (यदि 14, 15ङ से अधिक है तो लिखें, अन्यथा शून्य लिखें)				16	
	17	प्रतिदाय (यदि 15ङ, 14 से अधिक है) (प्रतिदाय, यदि कोई हो, सीधे बैंक खाते में जमा होगा)				17	
बैंक खाता	18	क्या आपका भारत में बैंक खाता है (प्रतिदाय का दावा करने वाले अनिवासी जिनका भारत में कोई बैंक खाता नहीं है, नहीं का चयन कर सकते हैं।)				हां, अथवा नहीं का चयन करें	
		क्रम सं.	भारत में धारित बैंक खातों की दशा में बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम	खाता संख्या	खाता का प्रकार (ई फाइलिंग द्वारा उपबंधित ड्रापडाउन)	पुनःवापसी प्रत्यय के लिए खाते का चयन करें (कम से कम एक खाते पर सही का निशान बनाएं)
		i					
		ii					
		नोट: 1. सभी बैंक खाते, सिवाय निष्क्रिय खाता के, किसी भी समय रखे गए सभी बैंक खातों की सूचना दी जानी चाहिए। 2. यदि बहुविध खातों का चयन किया जाता है, प्रतिदाय विवरणी का संसाधन के पश्चात् विधिमान्य खातों में से एक खाते में क्रेडिट किया जाएगा। यथा अपेक्षित पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं					
		ii ख) अनिवासी, जिनका भारत में कोई बैंक खाता नहीं है, वे अपने विकल्प पर एक विदेशी बैंक खाते का ब्यौरा प्रस्तुत करें:					
		क्रम सं.	एस.डब्ल्यू.आई.एफ.टी कोड	बैंक का नाम	देश का स्थान		आई.बी.ए.एन
		यथा अपेक्षित पंक्तियां बढ़ाई जा सकती हैं					
		19	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय,- (i) भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां (जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है) को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं। (ii) भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या (iii) भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है? (निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची चक को भरना सुनिश्चित करें)				

[illegible]

घ	स्त्रोत पर कर संग्रहण का विवरण (टी.सी.एस) [समाहर्ता द्वारा जारी प्रपत्र 27घ के अनुसार]									
	अन्य आय पर टी.सी.एस	क्रम सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति सं संबंधित जमा टी.सी.एस [धारा 5क के अनुसार पति/पत्नी धारा 37खक(2) के अनुसार अन्य व्यक्ति]	समाहर्ता का कर संग्रहण खाता संख्या तथा कर कटौती	अन्य व्यक्ति का पैना (यदि टी.सी.एस जमा अन्य व्यक्ति से संबंधित)	आगे लाया गया अदावाकर टी.सी.एस	चालू वित्त वर्ष की टीसीएस	इस वर्ष में दावा किया गया जमा टी.सी.एस		टी.सी.एस जमा आगे लाया गया
						वित्त वर्ष जिसमें संग्रह किया गया	राशिबी/एफ	स्वयं संग्रहित किया	धारा 5क के अनुसार पति/पत्नी द्वारा संग्रहित अथवा नियम 37आई (1) के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा (यदि अनुप्रयोज्य हो)	धारा 5क के अनुसार पति/पत्नी द्वारा दावा किया गया अथवा नियम 37 आई (1) के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा (यदि अनुप्रयोज्य हो)
	(1)	2(i)	(2)(ii)	(3)	(4)	(5)	6(i)	(6)(ii)	7(i)	(7)(ii)
										टी.सी.एस
										पैन
i										
टिप्पणी	कृपया भाग ख-ननझ के 15ग में स्तंभ 7(i) का कुल मांग दर्ज करें									

सत्यापन

मैं, पुत्र / पुत्री, सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार विवरणी और उसकी अनुसूचियों में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है तथा आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि मैं की क्षमता में विवरणी तैयार कर रहा हूँ और मैं इस विवरणी को तैयार करने और उसका सत्यापन करने के लिए सक्षम हूँ। मेरा स्थायी लेखा संख्यांक है। (यदि आबंटित किया गया है) (कृपया अनुदेश देखें) मैं यह और घोषणा करता हूँ कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, लागू होगा जहाँ धारा 92घ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना है)

तारीख	स्थान	यहाँ हस्ताक्षर करें →
-------	-------	-----------------------

यदि विवरणीकर विवरणी तैयार कर्ता (टीआरपी) द्वारा तैयार की गई है तो निम्नानुसार और ब्यौरा दें:

कर विवरणी तैयार कर्ता की पहचान सं.	कर विवरणी तैयार कर्ता का नाम	कर विवरणी तैयार कर्ता के प्रतिहस्ताक्षर
यदि कर विवरणी तैयार कर्ता सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का हकदार है तो उसकी रकम “;		

[फा.सं. 370142/15/2025-टीपीएल]

सुरबेन्दु ठाकुर, अवर सचिव, कर नीति और विधान

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) अधिसूचना संख्या का0आ0 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा0कानि0 286(अ), तारीख 01 मई, 2025 द्वारा किया गया।

स्पष्टीकारक ज्ञापन : यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी रूप देने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 2025

No. 43/2025

G.S.R 287(E).— In exercise of the powers conferred by section 139 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Fifteenth Amendment) Rules, 2025.
(2) They shall come into force with effect from the 1st day of April, 2025.
2. In the Income-tax Rules, 1962, in Appendix-II, for FORM ITR-2, the following FORM shall be substituted, namely:—

FORM	ITR-2	INDIAN INCOME TAX RETURN [For Individuals and HUFs not having income from profits and gains of business or profession] (Please see Rule 12 of the Income-tax Rules, 1962) (Please refer instructions)	Assessment Year <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: 1.2em;"> 2025-26 </div>		
Part A-GEN GENERAL					
PERSONAL INFORMATION	(A1) First name	(A2) Middle name	(A3) Last name	(A4) PAN	
	(A6) Flat/Door/Block No.	(A7) Name of Premises/Building/Village		(A5) Status (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Individual <input type="checkbox"/> HUF	
	(A8) Road/Street/Post Office	(A14) Date of Birth/ Formation (DD/MM/YYYY)			
	(A9) Area/locality	(A15) Aadhaar Number (12 digit)			
	(A10) Town/City/District	(A11) State		(A13) PIN code/ZIP code	
		(A12) Country			
	(A16) Residential/Office Phone Number with STD code/ Mobile No. 1		(A17) Mobile No. 2		
	(A18) Email Address-1 (self)			(A19) Email Address-2	
	FILING STATUS	(A20) (a1i) Filed u/s (Tick) [Please see instruction]		<input type="checkbox"/> 139(1)-On or before due date, <input type="checkbox"/> 139(4)-After due date, <input type="checkbox"/> 139(5)-Revised Return, <input type="checkbox"/> 92CD-Modified return, <input type="checkbox"/> 119(2)(b)-After condonation of delay	
		(a1ii) Or filed in response to notice u/s		<input type="checkbox"/> 139(9), <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148, <input type="checkbox"/> 153C	
(a2) Do you wish to exercise the option u/s 115BAC(6) of Opting out of new tax regime ? (default is "No") <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		Note- For Opting out, option should be exercised along with the return of income filed u/s 139(1)			

	(b)	Are you filing return of income under Seventh proviso to section 139(1) but otherwise not required to furnish return of income? - (Tick) <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information [Note: To be filled only if a person is not required to furnish a return of income under section 139(1) but filing return of income due to fulfilling one or more conditions mentioned in the seventh proviso to section 139(1)]																				
	(bi)	Have you deposited amount or aggregate of amounts exceeding Rs. 1 Crore in one or more current account during the previous year? (Yes/No)										Amount (Rs) (If Yes)										
	(bii)	Have you incurred expenditure of an amount or aggregate of amount exceeding Rs. 2 lakhs for travel to a foreign country for yourself or for any other person? (Yes/No)										Amount (Rs) (If Yes)										
	(biii)	Have you incurred expenditure of amount or aggregate of amount exceeding Rs. 1 lakh on consumption of electricity during the previous year? (Yes/No)										Amount (Rs) (If Yes)										
	(biv)	Are you required to file a return as per other conditions prescribed under clause (iv) of seventh proviso to section 139(1) (If yes, please select the relevant condition from the drop-down menu)										(Tick) o Yes o No										
	(c)	If Revised/Defective/Modified, then enter Receipt No. and Date of filing original return (DD/MM/YYYY)										/ /										
	(d)	If filed, in response to a notice u/s 139(9)/142(1)/148/153C or order u/s 119(2)(b) enter Unique Number/ Document Identification Number (DIN) and date of such Notice/Order, or if filed u/s 92CD, enter date of Advance Pricing Agreement										(Unique Number) / /										
	(e)	Residential Status in India (for individuals) (Tick applicable option)		<p>A. Resident</p> <input type="checkbox"/> You were in India for 182 days or more during the previous year [section 6(1)(a)] <input type="checkbox"/> You were in India for 60 days or more during the previous year, and have been in India for 365 days or more within the 4 preceding years [section (6)(1)(c)] [where Explanation 1 is not applicable] <input type="checkbox"/> You are a citizen of India, who left India, for the purpose of employment, as a member of the crew of an Indian ship and were in India for 182 days or more during the previous year and 365 days or more within the preceding 4 years [Explanation 1(a) of section (6)(1)(c)] <input type="checkbox"/> You are a citizen of India or a person of Indian origin and have come on a visit to India during the previous year and were in India for a) 182 days or more during the previous year and 365 days or more within the preceding 4 years; or b) 120 days or more during the previous year and 365 days or more within the preceding 4 years if the total income, other than income from foreign sources, exceeds Rs. 15 lakh. [Explanation 1(b) of section (6)(1)(c)]																		
				<p>B. Resident but not Ordinarily Resident</p> <input type="checkbox"/> You have been a non-resident in India in 9 out of 10 preceding years [section 6(6)(a)] <input type="checkbox"/> You have been in India for 729 days or less during the 7 preceding years [section 6(6)(a)] <input type="checkbox"/> You are a citizen of India or person of Indian origin, who comes on a visit to India, having total income, other than the income from foreign sources, exceeding Rs. 15 lakh and have been in India for 120 days or more but less than 182 days during the previous year [section 6(6)(c)] <input type="checkbox"/> You are a citizen of India having total income, other than the income from foreign sources, exceeding Rs. 15 lakh during the previous year and not liable to tax in any other country or territory by reason of your domicile or residence or any other criteria of similar nature [section 6(6)(d) rws 6(1A)]																		
				<p>C. Non-resident</p> <input type="checkbox"/> You were a non-resident during the previous year. (ii) Please specify the jurisdiction(s) of residence during the previous year -																		
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>S. No.</th> <th>Jurisdiction(s) of residence</th> <th>Taxpayer Identification Number(s)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										S. No.	Jurisdiction(s) of residence	Taxpayer Identification Number(s)	1			2		
S. No.	Jurisdiction(s) of residence	Taxpayer Identification Number(s)																				
1																						
2																						
				(ii) In case you are a Citizen of India or a Person of Indian Origin (POI), please specify -																		
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Total period of stay in India during the previous year (in days)</th> <th>Total period of stay in India during the 4 preceding years (in days)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Total period of stay in India during the previous year (in days)	Total period of stay in India during the 4 preceding years (in days)							
Total period of stay in India during the previous year (in days)	Total period of stay in India during the 4 preceding years (in days)																					

	Residential Status in India (for HUF) (Tick applicable option)		D. <input type="checkbox"/> Resident <input type="checkbox"/> Resident but not Ordinarily Resident <input type="checkbox"/> Non-resident											
(f)	Do you want to claim the benefit under section 115H? (applicable in case of resident)								<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No					
(g)	Are you governed by Portuguese Civil Code as per section 5A? Tick <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (If "YES" please fill Schedule 5A)													
(h)	Whether you are an / FPI? Yes/No If yes, please provide SEBI Regn. No													
(i)	Legal Entity Identifier (LEI) details (mandatory if refund is 50 Crores or more)													
	LEI Number				Valid upto date									
(j)	Whether this return is being filed by a Representative Assessee? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information -													
	(1)		Name of the Representative											
	(2)		Capacity of the Representative (drop down to be provided)											
	(3)		Address of the Representative											
	(4)		Permanent Account Number (PAN)/ Aadhaar No. of the Representative											
(k)	Whether you were Director in a company at any time during the previous year? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information -													
	Name of Company			Type of company	PAN	Whether its shares are listed or unlisted			Director Identification Number (DIN)					
				(Drop down to be provided)										
(l)	Whether you have held unlisted equity shares at any time during the previous year? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information in respect of equity shares													
	Name of company	Type of Company	PAN	Opening balance		Shares acquired during the year				Shares transferred during the year		Closing balance		
	(Drop down to be provided)			No. of shares	Cost of acquisition	No. of shares	Date of subscription / purchase	Face value per share	Issue price per share (in case of fresh issue)	Purchase price per share (in case of purchase from existing shareholder)	No. of shares	Sale consideration	No. of shares	Cost of acquisition
	1a	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

SCHEDULES TO THE RETURN FORM (FILL AS APPLICABLE)

Schedule S		Details of Income from Salary											
SALARIES	Name of Employer		Nature of employer (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> (drop down to be provided)				TAN of Employer (mandatory if tax is deducted)						
	Address of employer		Town/City				State		PIN code/ ZIP code				
	1	Gross Salary (1a + 1b + 1c + 1d + 1e + 1f)										1	
	a	Salary as per section 17(1) (drop down to be provided)						1a					
	b	Value of perquisites as per section 17(2) (drop down to be provided)						1b					

c	Profit in lieu of salary as per section 17(3) (drop down to be provided)	1c		
d	Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A (choose country from drop down menu)	1d		
e	Income from retirement benefit account maintained in a country "other than notified country u/s 89A"	1e		
f	Income taxable during the previous year on which relief u/s 89A was claimed in any earlier previous year.	1f		
(Add multiple rows for Gross Salary in case of more than one employer)				
2	Total Gross Salary (from all employers)	2		
3	Less allowances to the extent exempt u/s 10 (drop down to be provided in e-filing utility) (please refer instructions) (Note: Ensure that it is included in Total Gross salary in (2) above)	3		
3(a)	Less: Income claimed for relief from taxation u/s 89A	3a		
4	Net Salary (2 – 3 – 3a)	4		
5	Deduction u/s 16 (5a + 5b + 5c)	5		
a	Standard deduction u/s 16(ia)	5a		
b	Entertainment allowance u/s 16(ii)	5b		
c	Professional tax u/s 16(iii)	5c		
6	Income chargeable under the head 'Salaries' (4 - 5)	6		

Schedule HP		Details Of Income From House Property (Please Refer Instructions) (Drop down to be provided indicating ownership of property)									
1	Address of property 1	Town/ City			State		Country		PIN Code/ ZIP Code		
Is the property co-owned? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (if "YES" please enter following details)											
Your percentage of share in the property (%) <input type="text"/>											
Name of Co-owner(s)		PAN/Aadhaar No. of Co-owner(s)			Percentage Share in Property						
I											
II											
[Tick <input checked="" type="checkbox"/> the applicable option] <input type="checkbox"/> Let out <input type="checkbox"/> Self-occupied <input type="checkbox"/> Deemed let out		Name(s) of Tenant(s) (if let out)		PAN/ Aadhaar No. of Tenant(s) (Please see note)			PAN/TAN/ Aadhaar No. of Tenant(s) (if TDS credit is claimed)				
		I									
		II									
a	Gross rent received or receivable or lettable value						1a				
b	The amount of rent which cannot be realized						1b				
c	Tax paid to local authorities						1c				
d	Total (1b + 1c)						1d				
e	Annual value (1a – 1d) (nil if self-occupied etc. as per section 23(2) of the Act)						1e				
f	Annual value of the property owned (own percentage share x 1e)						1f				
g	30% of 1f						1g				
h	Interest payable on borrowed capital (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)						1h				
i	Total (1g + 1h)						1i				
j	Arrears/Unrealized rent received during the year less 30%						1j				
k	Income from house property 1 (1f – 1i + 1j)						1k				
(fill up details separately for each property)											
2	Pass through income/loss if any *						2				
3	Income under the head "Income from House Property" (Σ1k + 2) (if negative take the figure to 2i of schedule CYLA)						3				
NOTE ▶		Please include the income of the specified persons referred to in Schedule SPI and Pass through income referred to in schedule PTI while computing the income under this head.									

NOTE ► Furnishing of PAN/Aadhaar No. of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-IB.
Furnishing of TAN of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-I.

Schedule CG			Capital Gains											
CAPITAL GAINS	A		Short-term Capital Gains (STCG) (Sub-items 3 and 4 are not applicable for residents)											
	Short-term Capital Gains	1	From sale of land or building or both (fill up details separately for each property)											
			Date of purchase/ acquisition DD/MM/YYYY					Date of sale/transfer DD/MM/YYYY						
			a	i	Full value of consideration received/receivable				ai					
				ii	Value of property as per stamp valuation authority				aii					
			iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains (in case (aii) does not exceed 1.10 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii))				aiii						
		b	Deductions under section 48											
				i	Cost of acquisition without indexation				bi					
				ii	Cost of Improvement without indexation				bii					
	iii			Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer				biii						
iv	Total (bi + bii + biii)				biv									
	c	Balance (aiii – biv)					1c							
	d	Deduction under section 54B (Specify details in item D below)					1d							
	e	Short-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)										A1e		
	f	In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)												
		S. No.	Name of buyer(s)	PAN/ Aadhaar No. of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property, country code, ZIP code	Pin code	State					
		NOTE ►		Furnishing of PAN/ Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.										
	2	From sale of equity share or unit of equity oriented Mutual Fund (MF) or unit of a business trust on which STT is paid under section 111A or 115AD(1)(ii) proviso (for FII) (where A3 is not applicable)						Where transfer was before 23 rd July 2024	Where transfer was on or after 23 rd July 2024					
		a	Full value of consideration				2a							
		b	Deductions under section 48											
			i	Cost of acquisition without indexation				bi						
			ii	Cost of Improvement without indexation				bii						
			iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer				biii						
			iv	Total (i + ii + iii)				biv						
		c	Balance (2a – biv)				2c							
		d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)				2d							
		e	Short-term capital gain on equity share or equity oriented MF (STT paid) (2c +2d)					2ei	2eii		A2e			
	3	For NON-RESIDENT, not being an FII- from sale of shares or debentures of an Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)												
		a	STCG on transactions covered u/s 111A (A3ai + A3aii)								A3a			

			i.	Where the transfer was before 23 rd July 2024	A3ai	
			ii.	Where the transfer was on or after 23 rd July 2024	A3aii	
			b	STCG from sale of shares not covered in sl. no 3a or sale of debentures	A3b	
4 For NON-RESIDENT- from sale of securities (other than those at A2) by an FII as per section 115AD						
	a	i	In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details			
		a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia		
		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib		
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic		
		ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares	Aii		
		iii	Total (ic + ii)	aiii		
	b	Deductions under section 48				
		i	Cost of acquisition without indexation	bi		
		ii	Cost of improvement without indexation	bii		
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		
		iv	Total (i + ii + iii)	biv		
	c	Balance (4aiii – biv)			4c	
	d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if security bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such security to be ignored (Enter positive value only)			4d	
	e	Short-term capital gain on sale of securities by an FII (other than those at A2) (4c +4d)			A4e	
5 From sale of assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 above						
	a	i	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details			
		a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia		
		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib		
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic		
		ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares	aii		
		iii	Total (ic + ii)	aiii		
	b	Deductions under section 48				
		i	Cost of acquisition without indexation	bi		
		ii	Cost of Improvement without indexation	bii		
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		
		iv	Total (i + ii + iii)	biv		
	c	Balance (5aiii – biv)			5c	
	d	In case of asset (security/unit) loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)			5d	
	e	STCG on assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 above (5c + 5d)			A5e	
6 Amount deemed to be short term capital gains						

	a Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous years shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable. If yes, then provide the details below												
	Sl. No.	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in that year	New asset acquired/constructed		Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X)							
				Previous year in which asset acquired/constructed	Amount utilised out of Capital Gains account								
	i	2022-23	54B										
	ii	2023-24	54B										
	b Amount deemed to be short term capital gains, other than at 'a'												
	Total amount deemed to be short term capital gains (aXi + aXii + b)										A6		
	7	Pass Through Income/ Loss in the nature of Short Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (A7ai + A7aii + A7b + A7c)										A7	
		ai	Pass Through Income/ Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable @ 15%				A7a						
	a ii	Pass Through Income/ Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable @ 20%				A7a ii							
	b	Pass Through Income/ Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable @ 30%				A7b							
	c	Pass Through Income/ Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable at applicable rates				A7c							
	8 Amount of STCG included in A1 – A7 but claimed as not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA												
	Sl. No.	Amount of income	Item No. A1 to A7 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
	I												
	II												
Long-term Capital Gains	a Total amount of STCG claimed as not chargeable to tax in India as per DTAA										A8a		
	b Total amount of STCG claimed as chargeable to tax at special rates in India as per DTAA										A8b		
	A(A)	Capital Loss on buy back of shares on or after 01st October 2024 [Short Term 20% or 30% or applicable rate] (can be claimed only if respective Dividend income u/s 2(22)(f) is offered)										A(A)	
	9	Total Short-term Capital Gain (A1e+ A2e+ A3a+ A3b+ A4e+ A5e+A6 + A7 - A8a + A(A))										A9	
	B Long-term capital gain (LTCG) (Sub-items, 5, 6, 7 & 8 are not applicable for residents)												
	1	From sale of land or building or both (fill up details separately for each property from a to f)											
	Date of purchase/ acquisition DD/MM/YYYY										Date of sale/transfer DD/MM/YYYY		
	a	i	Full value of consideration received/receivable					ai					
		ii	Value of property as per stamp valuation authority					a ii					
		iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (a ii) does not exceed 1.10 times (ai), take this figure as (ai), or else take (a ii)]					a iii					
b	Deductions under section 48												
	i	Cost of acquisition without indexation					bi						
	ii a	Cost of acquisition with indexation (Applicable only for: (A) transfers before 23rd July 2024, or (B) Residents for computational purposes under second proviso to section 112(1)(a) where acquisition is before and transfer is on or after 23rd July 2024)					bi a						

[illegible]

2	For residents, from sale of unlisted bonds or unlisted debenture (other than capital indexed bonds issued by Government) (applicable only where transfer was before 23rd July 2024)					
	a	Full value of consideration	2a			
	b	Deductions under section 48				
	i	Cost of acquisition without indexation	bi			
	ii	Cost of improvement without indexation	bii			
	iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii			
	iv	Total (bi + bii + biii)	biv			
	c	Balance (2a – biv)	2c			
	d	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)	2d			
	e	LTCG on bonds or debenture (2c – 2d)			B2e	
3i	From sale of, listed securities (other than a unit) or zero coupon bonds as per Section 112(1)		Where transfer was before 23 rd July 2024 (i)	Where transfer was on or after 23 rd July 2024 (ii)		
	a	Full value of consideration	3a			
	b	Deductions under section 48				
	i	Cost of acquisition with indexation	bi			
	ia	Cost of acquisition without indexation (where transfer was before 23 rd July 2024, applicable only for the purpose of computing excess tax to be ignored as per proviso to 112(1))	bia			
	ii	Cost of improvement with indexation	bii			
	iiia	Cost of improvement without indexation (where transfer was before 23 rd July 2024, applicable only for the purpose of computing excess tax to be ignored as per proviso to 112(1))	biia			
	iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii			
	iv	Total (where transfer was before 23 rd July 2024, bi + bii + biii) (where transfer was on or after 23 rd July 2024, bia + biia + biii)	biv			
	iva	Total (bia + biia + biii) (for the purpose of computing excess as per proviso section 112(1)) (applicable where transfer was before 23 rd July 2024)	biva			
	c	Balance (3a – 3biv)	3c			
	ca	Balance (3a – 3biva) (for the purpose of computing excess tax as per proviso to section 112(1)) (applicable where transfer was before 23 rd July 2024)	3ca			
	d	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)	3d			
	e	Long-term Capital Gains on assets at B3 above where transfer was (3c – 3d)			B3(i)e	
		i. Before 23 rd July 2024			B3(i)ei	
		ii. On or After 23 rd July 2024			B3(i)eii	
	ea	Long-term Capital Gains on assets at B3 above where transfer was before 23 rd July 2024 (3ca – 3d) (for the purpose of computing excess tax as per proviso to section 112(1))			B3(i)ea	
	f	Tax as per 112(1)(a)(ii)(A) or 112(1)(c)(ii)(A) [LTCG at 20 % with indexation] [B3(ei)*20%] (applicable where transfer was before 23 rd July, 2024)			B3(i)f	
	g	Tax as per 1 st Proviso to section 112(1) [LTCG at 10 % without indexation] [B3(ea)*10%] (applicable where transfer was before 23 rd July, 2024)			B3(i)g	
	h	Excess amount that is required to be ignored as per 1 st proviso to section 112(1) [B3(f) – B3(g)] (applicable where transfer was before 23 rd July 2024)			B3(i)h	
3ii	From sale of GDR of an Indian company referred in sec. 115ACA (applicable only for resident individuals)		Where transfer was before 23 rd July 2024 (i)	Where transfer was on or after 23 rd July 2024 (ii)		
	a	Full value of consideration	3a			
	b	Deductions under section 48	b			

	i	Cost of acquisition without indexation	bi			
	ii	Cost of improvement without indexation	bii			
	iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii			
	iv	Total (bi + bii + biii)	biv			
	c	Balance (3a – biv)	3c			
	d	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)	3d			
	e	Long-term Capital Gains on assets at B3 above where transfer was (3c – 3d)				
		i. Before 23 rd July 2024				B3(ii)e
		ii. On or After 23 rd July 2024				B3(ii)ei B3(ii)eii
4	From sale of equity share in a company or unit of equity-oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A					
	A	LTCG u/s 112A (column 14(iii) of Schedule 112A)			4a	
		i. Sum of column 14 where transfer was before 23 rd July 2024			4ai	
		ii. Sum of column 14 where transfer was on or after 23 rd July 2024			4aai	
	B	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below) where transfer was			4b	
		i. Before 23 rd July 2024			4bi	
		ii. On or after 23 rd July 2024			4bii	
	C	Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B4 above where transfer was (4a – 4b)				
		i. Before 23 rd July 2024				B4c
		ii. On or after 23 rd July 2024				B4ci B4cii
5	For NON-RESIDENTS- from sale of shares or debenture of Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)					
	A	LTCG computed without indexation benefit where transfer was			5a	
		i. Before 23 rd July 2024 – Listed Debentures			5ai	
		ii. Before 23 rd July 2024 – other than Listed Debentures			5aii	
		iii. On or after 23 rd July 2024 (Only unlisted Shares or Listed debentures)			5aiii	
	B	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below) where transfer was			5b	
		i. Before 23 rd July 2024 – Listed Debentures			5bi	
		ii. Before 23 rd July 2024 – other than Listed Debentures			5bii	
		iii. On or after 23 rd July 2024 (Only unlisted Shares or Listed debentures)			5biii	
	C	LTCG on share or debenture (5a-5b)				
		i. where transfer was before 23 rd July 2024 – Listed Debentures				B5c
		ii. where transfer was before 23 rd July 2024 – other than Listed Debentures				B5ci B5cii
		iii. where transfer was on or after 23 rd July 2024 (Only unlisted Shares or Listed Debentures)				B5ciii
6	For NON-RESIDENTS- from sale of, (i) unlisted securities as per sec. 112(1)(c), (ii) bonds or GDR as referred in sec. 115AC, (iii) securities by FII as referred to in sec. 115AD (other than securities referred to in section 112A for which column B7 is to be filled up) Note: For serial number (iii), break up of income based on date of transfer is not required.					
	a	In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details				
		a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia		
		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib		
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic		
	ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares		aii		
	iii	Total (ic + ii)		aiii		
	b	Deductions under section 48				
		i	Cost of acquisition without indexation	bi		
		ii	Cost of improvement without indexation	bii		
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		

		iv	Total (bi + bii + biii)	biv			
		c	Balance(6aiii – biv)	6c			
		d	Deduction under sections /54F (Specify details in item D below)	6d			
		e	Long-term Capital Gains on assets at 6 above in case of NON-RESIDENT (6c - 6d) (i) Where transfer was before 23 rd July 2024 [applicable for 6(i) & 6(ii)] (ii) Where transfer was on or after 23 rd July 2024 [applicable for 6(i) & 6(ii)] (iii) from sale of securities by FII as referred to in sec. 115AD			B6e B6ei B6eii B6eiii	
	7	For FII/ FPI (NON-RESIDENTS) - From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A read with section 115AD					
		a	LTCG u/s 112A (column 14(iii) of Schedule 115AD(1)(b)(iii) proviso) (7ai + 7aai)	7a			
			i. Sum of column 14 where transfer was before 23 rd July 2024 -	7ai			
			ii. Sum of column 14 where transfer was on or after 23 rd July 2024	7aai			
		b	Deduction under section 54F (Specify details in item D below) i. Before 23 rd July 2024 ii. On or after 23 rd July 2024	7b 7bi 7bii			
		c	Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B7 above where transfer was (7a – 7b) i. Before 23 rd July 2024 ii. On or after 23 rd July 2024			B7c B7ci B7cii	
	8	From sale of foreign exchange asset by NON-RESIDENT INDIAN (If opted under chapter XII-A)					
		a	LTCG on sale of foreign exchange asset (as per section 115F) where transfer was (computed without indexation)	8a			
			i. Before 23 rd July 2024	8ai			
			ii. On or After 23 rd July 2024	8aai			
		b	Less deduction under section 115F (Specify details in item D below)	8b			
			i. Before 23 rd July 2024	8bi			
			ii. On or After 23 rd July 2024	8bii			
		c	Balance LTCG on sale of foreign exchange asset where transfer was (8a – 8b)			B8c	
			i. Before 23 rd July 2024			B8ci	
			ii. On or After 23 rd July 2024			B8cii	
	9	From sale of assets where B1 to B8 above are not applicable		Where transfer was before 23 rd July 2024 (i)	Where transfer was on or after 23 rd July 2024 (ii)		
		A	i	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details			
			a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia		
			b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib		
			c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic		
			ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares	aii		
			iii	Total (ic + ii)	aiii		
		B	Deductions under section 48				
			i	Cost of acquisition with indexation for transfer before 23 rd July 2024 and without indexation for transfer on or after 23 rd July 2024	bi		

			ii	Cost of improvement with indexation for transfer before 23 rd July 2024 and without indexation for transfer on or after 23 rd July 2024			bii					
			iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer			biii					
			iv	Total (bi + bii + biii)			biv					
		C	Balance (9aiii – biv)						9c			
		D	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)						9d	i. ii.		
		E	Long-term Capital Gains on assets at B9 above where transfer was (9c – 9d) (i) Before 23 rd July 2024 (ii) On or after 23 rd July 2024						B9e B9ei B9eii	i. ii.		
		10	Amount deemed to be long-term capital gains									
		A	Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous year shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable. If yes, then provide the details below									
			Yes ; No ; Not applicable. (If yes, then provide the details below)									
			Sl. No.	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in that year	New asset acquired/constructed		Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X)	Whether date of limitation / withdrawal was before 23 rd July 2024			
			i	2021-22	54/54F							
			ii	2022-23	54/54B/54F							
			iii	2023-24	54/54B/ 54F							
		B	Amount deemed to be long-term capital gains, other than at 'a'. (i + ii)							b.		
			bi. Where deemed capital gain arose before 23 rd July 2024							bi.		
			bii. Where deemed capital gain arose on or after 23 rd July 2024							bii.		
			Total amount deemed to be long-term capital gains (aXi + aXii + aXiii + b) i. Where deemed capital gain arose before 23 rd July 2024 ii. Where deemed capital gain arose on or after 23 rd July 2024							B10 B10i B10ii		
		11	Pass Through Income/ Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (B11a1+ B11a2 + B11b)							B11		
			a1i.	Pass Through Income/ Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, chargeable @ 10% u/s 112A					B11 a1i			
			a1ii	Pass Through Income/ Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, chargeable @ 12.5% u/s 112A					B11a1(ii)			
			a2i	Pass Through Income/ Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, chargeable @ 10% under sections other than u/s 112A					B11 a2(I)			
			a2	Pass Through Income/ Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, (ii) chargeable @ 12.5% other than u/s 112A					B11a2(ii)			
			b	Pass Through Income/ Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, chargeable @ 20%					B11b			
		12	Amount of LTCG included in B1- B11 but claimed as not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA									
			Sl. No.	Amount of income	Item No. B1 to B11 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (Enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			I									
			II									
			a	Total amount of LTCG claimed as not chargeable to tax as per DTAA								B12a
			b	Total amount of LTCG claimed as chargeable to tax at special rates as per DTAA								B12b

		Capital Loss on buy back of shares on or after 01st October 2024 B(A) [Long term 12.5% or 10% for transactions covered u/s 115AD for Non-residents] (can be claimed only if respective Dividend income u/s 2(22)(f) is offered)				B(A)	
	13	Total long term capital gain chargeable under I.T. Act (B1e+B2e+B3ie+B3iie+B4c+B5c+B6e+B7c+B8c+B9e+B10 + B11 - B12a+B(A))				B13	
	C1	Sum of Capital Gain Incomes (11ii +11iii + 11iv +11v + 11vi + 11vii + 11viii + 11ix +11x of table E below)				C1	
	C2	Income from transfer of Virtual Digital Assets (Col. 7 of Schedule VDA)				C2	
	C3	Income chargeable under the head "CAPITAL GAINS" (C1 + C2)				C3	
	D	Information about deduction claimed against Capital Gains					
	1	In case of deduction u/s 54/54B/54EC/54F/115F give following details					
	a	Deduction claimed u/s 54					
	i	Date of transfer of original asset		ai	<i>dd/mm/yyyy</i>		
	ii	Cost of new residential house		aii			
	iii	Date of purchase/construction of new residential house		aiii	<i>dd/mm/yyyy</i>		
	iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date		aiv			
		(iva) Date of deposit		(ivb) Account number		(ivc) IFS code	
		<i>dd/mm/yyyy</i>					
	v	Amount of deduction claimed		av			
	b	Deduction claimed u/s 54B					
	i	Date of transfer of original asset		bi	<i>dd/mm/yyyy</i>		
	ii	Cost of new agricultural land		bii			
	iii	Date of purchase of new agricultural land		biii	<i>dd/mm/yyyy</i>		
	iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date		biv			
		(iva) Date of deposit		(ivb) Account number		(ivc) IFS code	
		<i>dd/mm/yyyy</i>					
	v	Amount of deduction claimed		bv			
	c	Deduction claimed u/s 54EC					
	i	Date of transfer of original asset		ci	<i>dd/mm/yyyy</i>		
	ii	Amount invested in specified/notified bonds <i>(Not exceeding fifty lakh rupees)</i>		cii			
	iii	Date of investment		ciii	<i>dd/mm/yyyy</i>		
	iv	Amount of deduction claimed		civ			
	d	Deduction claimed u/s 54F					
	i	Date of transfer of original asset		di	<i>dd/mm/yyyy</i>		
	ii	Cost of new residential house		dii			
	iii	Date of purchase/construction of new residential house		diii	<i>dd/mm/yyyy</i>		
	iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date		div			
		(iva) Date of deposit		(ivb) Account number		(ivc) IFS code	
		<i>dd/mm/yyyy</i>					
	v	Amount of deduction claimed		dv			
	e	Deduction claimed u/s 115F (for Non-Resident Indians)					
	i	Date of transfer of original foreign exchange asset		e i	<i>dd/mm/yyyy</i>		
	ii	Amount invested in new specified asset or savings certificate		e ii			
	iii	Date of investment		e iii	<i>dd/mm/yyyy</i>		
	iv	Amount of deduction claimed		e iv			
	f	Total deduction claimed (1a + 1b + 1c + 1d + 1e)		f			

E Set-off of current year capital losses with current year capital gains (excluding amounts included in A8a & B12a which is not chargeable under DTAA)													
S L	Type of Capital Gain	Capital Gain of current year (Fill this column only if computed figure is positive)	Short term capital loss					Long term capital loss				Cur rent year's capit al gains rema ining after set off	
			15%	20%	30 %	applicable rate	DT AA rat es	10%	12.50 %	20%	DT AA rat es	(11=1 -2-3- 4-5- 6-7- 8-9- 10)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
i	Capital Loss to be set off		(A2 ei* + A3a i*+ A7a i*)	(A2eii* + A3aii*+A7a ii*+A(A))	(A4 e*+ A7b *+ A(A))	(A1e*+A3b *+A5e*+ A6*+ A7c*+ A(A))	A8 b	B3(ii) ei*+ B4ci* + B5cii* + B6ei* + B6eiii *+ B7ci* + B8ci* + B11a1 (i)*+ B11a2 (i)*+ B(A))	(B1gb *+ B3(i)ei i*+ B3(ii)e ii*+ B4cii* + B5cii *+ +B6eii *+ B7cii* +B8cii *+ B9eii* + B10ii* + B11a1 (ii)*+ B11a2 (ii)*+ B(A))	(B1g a*+ (B3(i) ei*+ B2e* + B5ci* + B9ei* + B10i* + B11b *)	B1 2b		
	(Fill this row only if computed figure is negative)												
ii	Sho rt ter m cap ital gai n	15%	(A2ei*+ A3ai*+ A7ai*)										
iii		20%	(A2eii*+ A3aii*+A7 aii*+ A(A))										
iv		30%	(A4e*+ A7b*+ A(A))										
v		appli cable rate	(A1e*+A3b *+ A5e*+A6* + A7c*+ A(A))										
vi		DTA A rates	A8b										

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

F Information about accrual/receipt of capital gain							
	Type of Capital gain / Date	Upto 15/6 (i)	16/6 to 15/9 (ii)	16/9 to 15/12 (iii)	16/12 to 15/3 (iv)	16/3 to 31/3 (v)	
1	Short-term capital gains taxable at the rate of 15% Enter value from item 3iia of schedule BFLA, if any.						
2	Short-term capital gains taxable at the rate of 20% Enter value from item 3iib of schedule BFLA, if any.						
3	Short-term capital gains taxable at the rate of 30% Enter value from item 3iv of schedule BFLA, if any.						
4	Short-term capital gains taxable at applicable rates Enter value from item 3v of schedule BFLA, if any.						
5	Short-term capital gains taxable at DTAA rates Enter value from item 3vi of schedule BFLA, if any.						
6	Long- term capital gains taxable at the rate of 10% Enter value from item 3vii of schedule BFLA, if any.						
7	Long- term capital gains taxable at the rate of 12.5% Enter value from item 3viib of schedule BFLA, if any.						
8	Long- term capital gains taxable at the rate of 20% Enter value from item 3viii of schedule BFLA, if any.						

NOTE ►

[illegible]

115AD(1)(b)(iii) proviso			For NON-RESIDENTS - From sale of equity share in a company or unit of equity-oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A rws 115AD(1)(b)(iii) proviso												
Sl. No.	Share/ Unit Acquired (On or before / after 31 st January 2018)	Share / Unit transferred (Before or after 23 rd July 2024)	ISIN Code	Name of the Share/ Unit	No. of Shares/ Units	Sale-price per Share/ Unit	Full Value of Consideration -If shares are acquired on or before 31.01.2018 (Total Sale Value) (4*5) -If shares are Acquired after 31 st January 2018 - Please enter Full Value of Consideration	Cost of acquisition with out indexation Higher of 8 and 9	Cost of acquisition	If the long-term capital asset was acquired before 01.02.2018, Lower of 6 and 11	Fair Market Value per share/ unit as on 31 st January, 2018	Total Fair Market Value of capital asset as per section 55(2)(ac) - (4*10)	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	Total deduction (7+12)	Balance (6-13) Item 7 (a) of LT CG Schedule of ITR 2
(Col 1)	(Col 1a)	(Col 1b)	(Col 12)	(Col 3)	(Col 4)	(Col 5)	(Col 6)	(Col 7)	(Col 8)	(Col 9)	(Col 10)	(Col 11)	(Col 12)	(Col 13)	(Col 14)
1															
2															
3															
4															
Add Rows															
(i)	Total of Col 14 where transfer was before 23 rd July 2024														
(ii)	Total of Col 14 where transfer was on or after 23 rd July 2024														
(ii)	Total of LTCG u/s 112A rws 115AD(1)(b)(iii) proviso														

Schedule VDA	Income from transfer of Virtual Digital Assets (Note: Details of every transaction are to be filled, wherein every 'transfer' is a transaction)					
Sl. No.	Date of Acquisition	Date of Transfer	Head under which income to be taxed (Capital Gain)	Cost of Acquisition (In case of gift; a. Enter the amount on which tax is paid u/s 56(2)(x) if any b. In any other case cost to previous owner)	Consideration Received	Income from transfer of Virtual Digital Assets (enter nil in case of loss) (Col. 6 – Col. 5)
(Col. 1)	(Col. 2)	(Col. 3)	(Col. 4)	(Col. 5)	(Col. 6)	(Col. 7)

Add Rows					
	Total (Sum of all Positive Incomes of Capital Gain in Col. 7)				(Item No. C2 of Schedule CG)

Schedule OS		Income from Other Sources							
OTHER SOURCES	1	Gross income chargeable to tax at normal applicable rates (1a+ 1b+ 1c+ 1d + 1e)					1		
	a	Dividends, Gross (ai+aii+aiii)					1a		
	i	Dividend income other than (ii) and (iii)	ai						
	ii	Dividend income u/s 2(22)(e)	aii						
	iii	Dividend income u/s 2(22)(f)	aiii						
	b	Interest, Gross (bi + bii + biii + biv+ bv + bvi + bvii + bviii + bix)					1b		
	i	From Savings Bank	bi						
	ii	From Deposits (Bank/ Post Office/ Co-operative) Society/)	bii						
	iii	From Income-tax Refund	biii						
	iv	In the nature of Pass through income/ loss	biv						
	v	Interest accrued on contributions to provident fund to the extent taxable as per first proviso to section 10(11)	bv						
	vi	Interest accrued on contributions to provident fund to the extent taxable as per second proviso to section 10(11)	bvi						
	vii	Interest accrued on contributions to provident fund to the extent taxable as per first proviso to section 10(12)	bvii						
	viii	Interest accrued on contributions to provident fund to the extent taxable as per second proviso to section 10(12)	bviii						
	ix	Others	bix						
	c	Rental income from machinery, plants, buildings, etc., Gross					1c		
	d	Income of the nature referred to in section 56(2)(x) which is chargeable to tax (di + dii + diii + div + dv)					1d		
	i	Aggregate value of sum of money received without consideration	di						
	ii	In case immovable property is received without consideration, stamp duty value of property	dii						
	iii	In case immovable property is received for inadequate consideration stamp duty value of property in excess of such consideration	diii						
iv	In case any other property is received without consideration, fair market value of property	div							
v	In case any other property is received for inadequate consideration, fair market value of property in excess of such consideration	dv							
e	Any other income (please specify nature)					1e			

Sl. No.	Nature	Amount	
1	Family Pension		
2	Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A (choose country from drop down menu)		
3	Income from retirement benefit account maintained in a country "other than notified country u/s 89A"		
4	Income taxable during the previous year on which relief u/s 89A was claimed in any earlier previous year.		
5	Any specified sum received by a unit holder from a business trust during the previous year referred to in section 56(2)(xii)		
6	Any sum received, including the amount allocated by way of bonus, at any time during a previous year, under a life insurance policy referred to in section 56(2)(xiii)		
	Rows can be added as required		
2	Income chargeable at special rates (2ai+2aii+ 2b+ 2c+ 2d + 2e +2f elements related to Sl. No.1)	2	
ai	Winnings from lotteries, crossword puzzles, races, card games etc. chargeable u/s 115BB	2ai	
aii	Income by way of winnings from online games chargeable u/s 115BBJ	2aii	
b	Income chargeable u/s 115BBE (bi + bii + biii + biv+ bv + bvi)	2b	
i	Cash credits u/s 68	bi	
ii	Unexplained investments u/s 69	bii	
iii	Unexplained money etc. u/s 69A	biii	
iv	Undisclosed investments etc. u/s 69B	biv	
v	Unexplained expenditure etc. u/s 69C	bv	
vi	Amount borrowed or repaid on hundi u/s 69D	bvi	
c	Accumulated balance of recognised provident fund taxable u/s 111	2c	
S.No.	Assessment Year	Income benefit	Tax benefit
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
d	Any other income chargeable at special rate (total of di to dxx)		2d
i	Dividends received by non-resident (not being company) or foreign company chargeable u/s 115A(1)(a)(i) other than proviso to section 115A(1)(a)(A)		di
ia	Dividend received by non-resident (not being company) or foreign company from a unit in an International Financial Services Centre, as referred to in sub-section (1A) of section 80LA, chargeable under proviso to section 115A(1)(a)(A)		dia
ii	Interest received from Government or Indian concern on foreign currency debts chargeable u/s 115A(1)(a)(ii)		dii
iii	Interest received from Infrastructure Debt Fund chargeable u/s 115A(1)(a)(iia)		diii

		II										
3	Deductions under section 57 (other than those relating to income chargeable at special rates under 2a, 2b & 2d)											
ai	Expenses / Deductions other than "aii" (in case other than family pension)					3ai						
aii	Interest expenditure on dividend u/s 57(i) (available only if income offered in 1a(i) and / or 1a(ii))					3aii						
aiia	Eligible Interest expenditure u/s 57(1) – Computed Amount					3aiia						
aiii	Deduction u/s. 57(iia) (in case of family pension only)					3aiii						
b	Depreciation (available only if income offered in 1c of Schedule OS)					3b						
c	Total					3c						
4	Amounts not deductible u/s 58											
5	Profits chargeable to tax u/s 59											
5a	Income claimed for relief from taxation u/s 89A											
6	Net Income from other sources chargeable at normal applicable rates (1(after reducing income related to DTAA portion) – 3 + 4 + 5-5a) (If negative take the figure to 3i of schedule CYLA)											
7	Income from other sources (other than from owning race horses) (2 + 6) (enter 6 as nil, if negative)											
8	Income from the activity of owning and maintaining race horses											
a	Receipts					8a						
b	Deductions under section 57 in relation to receipts at 8a only					8b						
c	Amounts not deductible u/s 58					8c						
d	Profits chargeable to tax u/s 59					8d						
e	Balance (8a - 8b + 8c + 8d) (if negative take the figure to 6xii of Schedule CFL)										8e	
9	Income under the head "Income from Other Sources" (7 + 8e) (take 8e as nil if negative)											
10	Information about accrual/receipt of income from Other Sources											
S.No.	Other Source Income	Upto 15/6	From 16/6 to 15/9	From 16/9 to 15/12	From 16/12 to 15/3	From 16/3 to 31/3						
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)						
1	Income by way of winnings from lotteries, crossword puzzles, races, games, gambling, betting etc. referred to in section 2(24)(ix)											
2	Income by way of winnings from online games u/s 115BBJ											
3a	Dividend Income referred in Sl. No. 1a(i)											
3b	Dividend Income referred in Sl. No. 1a(iii)											

		4	Dividend Income u/s 115A(1)(a)(i) other than as per proviso to sec 115A(1)(a)(A) @ 20% (Including PTI Income)						
		5	Dividend income under proviso to section 115A(1)(a)(A) @ 10% (Including PTI Income)						
		6	Dividend Income u/s 115AC @ 10%						
		7	Dividend Income u/s 115ACA (1)(a) @ 10% (Including PTI Income)						
		8	Dividend Income of FII (other than units referred to in section 115AB) u/s 115AD(1)(i) @ 20% (Including PTI Income)						
		9	Dividend income chargeable at DTAA Rates						
		10	Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A (Taxable portion after reducing relief u/s 89A)						
NOTE ►		Please include the income of the specified persons (spouse, minor child etc.) referred to in Schedule SPI while computing the income under this head.							

Schedule CYLA		Details of Income after Set off of Current Year Losses				
CURRENT YEAR LOSS ADJUSTMENT	Sl. No.	Head/ Source of Income	Income of current year (Fill this column only if income is zero or positive)	House property loss of the current year set off	Net loss from Other sources chargeable at normal applicable rates (other than loss from race horses) of the current year set off	Current year's Income remaining after set off
			1	2	3	4=1-2-3
	I	Loss to be set off → (Fill this row only if computed figure is negative)		(3 of Schedule HP)	(6 of Schedule-OS)	
	Ii	Salaries	(6 of Schedule S)			
	Iii	House property	(3 of Schedule HP)			
	Iva	Short-term capital gain taxable @ 15%	(11ii of item E of Schedule CG)			
	Ivb	Short-term capital gain taxable @ 20%	(11iii of item E of Schedule CG)			
	v	Short-term capital gain taxable @ 30%	(11iv of item E of Schedule CG)			

vi	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(11v of item E of Schedule CG)			
vii	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(11vi of item E of Schedule CG)			
viii	Long term capital gain taxable @ 10%	(11vii of item E of Schedule CG)			
Viiib	Long term capital gain taxable @ 12.5%	(11viii of item E of Schedule CG)			
ix	Long term capital gain taxable @ 20%	(11ix of item E of Schedule CG)			
x	Long term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA	(11x of item E of Schedule CG)			
xi	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates	(6 of Schedule OS)			
xii	Profit from the activity of owning and maintaining race horses	(8e of Schedule OS)			
xiii	Income from other sources taxable at special rates in India as per DTAA	(2f of Schedule OS)			
xiv	Total loss set off (ii + iii + iva + ivb + v + vi + vii + viii + viiib + ix + x + xi + xii + xiii)				
xv	Loss remaining after set-off (i – xiv)				

Schedule BFLA		Details of Income after Set off of Brought Forward Losses of earlier years			
BROUGHT FORWARD LOSS ADJUSTMENT	Sl. No.	Head/ Source of Income	Income after set off, if any, of current year's losses as per 4 of Schedule CYLA)	Brought forward loss set off	Current year's income remaining after set off
			1	2	3
	i	Salaries	(4ii of schedule CYLA)		
	ii	House property	(4iii of schedule CYLA)	(B/f house property loss)	
	iiia	Short-term capital gain taxable @ 15%	(4iva of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)	
	iiib	Short-term capital gain taxable @ 20%	(4ivb of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)	
	iv	Short-term capital gain taxable @ 30%	(4v of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)	
	v	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(4vi of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)	
	vi	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(4vii of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)	
	viia	Long-term capital gain taxable @ 10%	(4viiia of schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)	
	viiib	Long-term capital gain taxable @ 12.5%	(4viiib of schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)	
	viii	Long term capital gain taxable @ 20%	(4ix of schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)	
	ix	Long term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA	(4x of schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)	
	x	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates	(4xi of schedule CYLA)		

xi	Profit from owning and maintaining race horses	(4xii of schedule CYLA)	(B/f loss from horse races)	
xii	Income from other sources taxable at special rates in India as per DTAA	(4xiii of Schedule CYLA)		
xiii	Total of brought forward loss set off (2ii + 2iia + 2iib + 2iv + 2v + 2vi + 2vii + 2viib + 2viii + 2ix + 2xi + 2xii)			
xiv	Current year's income remaining after set off Total of (3i + 3ii + 3iia + 3iiib + 3iv + 3v + 3vi + 3vii + 3viib + 3viii + 3ix + 3x + 3xi + 3xii)			

Schedule CFL		CARRY FORWARD OF LOSS					
CARRY FORWARD OF LOSS		Assessment Year	Date of Filing (DD/MM/YYYY)	House property loss	Short-term capital loss	Long-term Capital loss	Loss from owning and maintaining race horses
		1	2	3	4	5	6
	i	2017-18					
	ii	2018-19					
	iii	2019-20					
	iv	2020-21					
	v	2021-22					
	vi	2022-23					
	vii	2023-24					
	viii	2024-25					
	ix	Total of earlier year losses					
	x	Adjustment of above losses in Schedule BFLA		(2ii of Schedule BFLA)			(2xi of Schedule BFLA)
	xi	2025-26 (Current year losses)		(2xv of Schedule CYLA)	(2xii + 3xii + 4xii + 5xii + 6xii) of item E of Schedule CG	(7xii + 8xii + 9xii + 10xii) of item E of Schedule CG	(8e of Schedule OS, if -ve)
	xii	Total loss carried forward to future years					

Schedule VI-A		Deductions under Chapter VI-A				
TOTAL DEDUCTIONS	1	Part B- Deduction in respect of certain payments				
	a	80C (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		b	80CCC (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	
	c	80CCD(1) (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		d	80CCD(1B) (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	
	e	80CCD(2) (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		f	80D (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	

g	80DD		h	80DDB (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		
i	80E (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		j	80EE (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		
k	80EEA (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		l	80EEB (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		
m	80G		n	80GG (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		
o	80GGA		p	80GGC		
2	Part C, CA and D- Deduction in respect of certain incomes/other deduction					
q	80QQB (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		r	80RRB (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		
s	80TTA		t	80TTB		
u	80U		ua	80CCH		
ub	Any other deduction as per the e-filing utility (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)					
v	Total deductions under Chapter VI-A (Total of a to ub)					v

Schedule 80G		Details of donations entitled for deduction under section 80G					
DETAILS OF DONATIONS	A	Donations entitled for 100% deduction without qualifying limit					
		Name and address of Donee	PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
	i						
	ii						
	iii	Total					
	B	Donations entitled for 50% deduction without qualifying limit					
		Name and address of Donee	PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
	i						
	ii						
	iii	Total					
	C	Donations entitled for 100% deduction subject to qualifying limit					
		Name and address of Donee	PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
	i						

	ii						
	iii	Total					
	D	Donations entitled for 50% deduction subject to qualifying limit					
	Name and address of Donee		PAN of Donee	ARN (Donation Reference Number)	Amount of donation		Eligible Amount of donation
					Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation
	i						
	ii						
	iii	Total					
	E	Total donations (Aiii + Biii + Ciii + Diii)					

Schedule 80GGA		Details of donations for scientific research or rural development					
S. No.	Relevant clause under which deduction is claimed (<i>drop down to be provided</i>)	Name and address of Donee	PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
i							
ii							
	Total donation						

Schedule 80GGC		Details of contributions made to political parties					
S. No.	Date	Amount of contribution			Eligible amount of contribution	Transaction Reference number for UPI transfer or Cheque number/ IMPS/ NEFT/ RTGS	IFS code of Bank
		Contribution in cash	Contribution in other mode	Total Contribution			
i							
	(add rows)						
	Total contribution						

Schedule 80DD		Details of deduction in respect of maintenance including medical treatment of a dependent who is a person with disability							
Nature of disability		Type of dependent	PAN of the dependent	Aadhaar of the dependent	Date of filing of Form 10IA	Ack. No. of Form 10IA filed	Form Ack. No. as per Rule 11A(2)(ii) (if applicable)	UDID Number (If available)	Amount
1.	Dependent person with disability	1. Spouse							
2.	Dependent person with severe disability	2. Son							
		3. Daughter							
		4. Father							
		5. Mother							
		6. Brother							
		7. Sister							
		8. Member of the HUF (in							

	case of HUF)							
--	--------------	--	--	--	--	--	--	--

Schedule 80U		Details of deduction in case of a person with disability			
Nature of disability	Date of filing of Form 10IA	Ack. No. of Form 10IA filed	Form Ack. No. as per Rule 11A(2)(ii) (if applicable)	UDID Number (If available)	Amount
1. Self with disability					
2. Self with severe disability					

Schedule AMT		Computation of Alternate Minimum Tax payable under section 115JC			
1	Total Income as per item 12 of PART-B-TI	1			
2	Adjustment as per section 115JC(2)				
a	Deduction claimed under any section included in Chapter VI-A under the heading "C.—Deductions in respect of certain incomes"	2a			
3	Adjusted Total Income under section 115JC(1) (1+2a)	3			
4	Tax payable under section 115JC [18.5% of (3)] (if 3 is greater than Rs. 20 lakhs)	4			

Schedule AMTC		Computation of tax credit under section 115JD				
1	Tax under section 115JC in assessment year 2025-26 (1d of Part-B-TTI)	1				
2	Tax under other provisions of the Act in assessment year 2025-26 (7 of Part-B-TTI)	2				
3	Amount of tax against which credit is available [enter (2 – 1) if 2 is greater than 1, otherwise enter 0]	3				
4	Utilization of AMT credit Available (Sum of AMT credit utilized during the current year is subject to maximum of amount mentioned in 3 above and cannot exceed the sum of AMT Credit Brought Forward)					
	S. No.	Assessment Year (A)	AMT Credit		AMT Credit Utilized during the Current Assessment Year (C)	Balance AMT Credit Carried Forward (D)= (B3) – (C)
			Gross (B1)	Set-off in earlier assessment years (B2)	Balance brought forward to the current assessment year (B3) = (B1) – (B2)	
	i	2013-14				
	ii	2014-15				
	iii	2015-16				
	iv	2016-17				
	v	2017-18				
	vi	2018-19				
	vii	2019-20				
	viii	2020-21				
	ix	2021-22				
	x	2022-23				
	xi	2023-24				
	xii	2024-25				
	xiii	Current AY (enter 1-2, if 1>2 else enter 0)				
	xiv	Total				
5	Amount of tax credit under section 115JD utilized during the year [total of item No. 4 (C)]				5	
6	Amount of AMT liability available for credit in subsequent assessment years [total of 4 (D)]				6	

Schedule SPI		Income of specified persons (spouse, minor child etc.) includable in income of the assessee as per section 64				
SI No	Name of person	PAN/ Aadhaar No. of person (optional)		Relationship	Amount (Rs)	Head of Income in which included
1						

Schedule SI						
SPECIAL RATE	Sl. No	Section	<input checked="" type="checkbox"/>	Special rate (%)	Income (i)	Tax thereon (ii)
	1	111- Accumulated balance of recognized provident for prior years	<input type="checkbox"/>		(2ciii of Schedule OS)	(2civ of Schedule OS)
	2a	111A or section 115AD(1)(b)(ii)- Proviso (STCG on shares units on which STT paid) [where transfer was before 23 rd July 2024 as applicable]	<input type="checkbox"/>	15	(part of 3iiia of Schedule BFLA)	
	2b	111A or section 115AD(1)(b)(ii)- Proviso (STCG on shares units on which STT paid) [where transfer was on or after 23 rd July 2024 as applicable]	<input type="checkbox"/>	20	(part of 3iiib of Schedule BFLA)	
	3	115AD (STCG for FIIs on securities where STT not paid)	<input type="checkbox"/>	30	(3iv of Schedule BFLA)	
	4a	Proviso to 112(1) (LTCG on listed securities/ units with indexation) [where transfer was before 23 rd July 2024 as applicable and tax thereon after taking into account Sl. no. B3(i)(h) of Schedule CG, if any.]	<input type="checkbox"/>	20 (as reduced by B3(i)(h) of Schedule CG, if any)	(part of 3viii of Schedule BFLA)	
	4b	112(1) (LTCG on listed securities/ units) [where transfer was on or after 23 rd July 2024 as applicable]	<input type="checkbox"/>	12.5	(part of 3viib of Schedule BFLA)	
	5a	112(1)(c)(iii) (LTCG for non-resident on unlisted securities or other than Listed debentures) [where transfer was before 23 rd July 2024 as applicable]	<input type="checkbox"/>	10	(part of 3viiia of Schedule BFLA)	
	5b	112(1)(c)(iii) (LTCG for non-resident on unlisted securities) [where transfer was on or after 23 rd July 2024 as applicable]	<input type="checkbox"/>	12.5	(part of 3viib of Schedule BFLA)	
	6a	115AC (LTCG for non-resident on bonds/GDR) [where transfer was before 23 rd July 2024 as applicable]	<input type="checkbox"/>	10	(part of 3viiia of Schedule BFLA)	
	6b	115AC (LTCG for non-resident on bonds/GDR) [where transfer was on or after 23 rd July 2024 as applicable]	<input type="checkbox"/>	12.5	(part of 3viib of Schedule BFLA)	
	7a	115ACA (LTCG for an employee of specified company on GDR) [where transfer was before 23 rd July 2024 as applicable]	<input type="checkbox"/>	10	(part of 3viiia of Schedule BFLA)	
	7b	115ACA (LTCG for an employee of specified company on GDR) [where transfer was on or after 23 rd July 2024 as applicable]	<input type="checkbox"/>	12.5	(part of 3viib of Schedule BFLA)	
	8	115AD (LTCG for FIIs on securities)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 3viiia of Schedule BFLA)	
	9a	115E (LTCG for non-resident Indian on foreign exchange asset) [where transfer was before 23 rd July 2024 as applicable]	<input type="checkbox"/>	10	(part of 3viiia of Schedule BFLA)	
	9b	115E (LTCG for non-resident Indian on foreign exchange asset) [where transfer was on or after 23 rd July 2024 as applicable]	<input type="checkbox"/>	12.5	(part of 3viib of Schedule BFLA)	
	10a	112 (LTCG on others) [where transfer / event was before 23 rd July 2024 as applicable]	<input type="checkbox"/>	20	(part of 3viii of Schedule BFLA)	
10b	112 (LTCG on others) [where transfer / event was on or after 23 rd July 2024 as applicable] and tax thereon after taking into account Sl. no. Σ B1eii of Schedule CG, if any.	<input type="checkbox"/>	12.5 (as reduced by B1eii of Schedule CG, if any)	(part of 3viib of Schedule BFLA)		

11a	112A or section 115AD(1)(b)(iii)-Proviso (LTCG on sale of shares or units on which STT is paid) [where transfer was before 23 rd July 2024 as applicable]	<input type="checkbox"/>	10	(part of 3viia of Schedule BFLA)	
11b	112A or section 115AD(1)(b)(iii)-Proviso (LTCG on sale of shares or units on which STT is paid) [where transfer was on or after 23 rd July 2024 as applicable]	<input type="checkbox"/>	12.5	(part of 3viib of Schedule BFLA)	
12	STCG Chargeable at special rates in India as per DTAA			(part of 3vi of Schedule BFLA)	
13	LTCG Chargeable at special rates in India as per DTAA			(part of 3ix of schedule BFLA)	
14a	115BB (Winnings from lotteries, puzzles, races, games etc.)	<input type="checkbox"/>	30	(part of 2a(i) of Schedule OS)	
14b	115BBJ (Winnings from online games)	<input type="checkbox"/>	30	(2aii of Schedule OS)	
15	115BBE (Income under section 68, 69, 69A, 69B, 69C or 69D)	<input type="checkbox"/>	60	(2b of Schedule OS)	
16	115BBH (Income from transfer of Virtual Digital Asset)	<input type="checkbox"/>	30	(C2 of Schedule CG)	
17	115BBF (Tax on income from patent)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 2d of Schedule OS)	
18	115BBG (Tax on income from transfer of carbon credits)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 2d of Schedule OS)	
19	Any other income chargeable at special rate (Drop down to be provided in e-filing utility)	<input type="checkbox"/>		(part of 2d of Schedule OS)	
20	Other source of income chargeable at special rates in India as per DTAA	<input type="checkbox"/>		(part of 3xii of Schedule BFLA)	
21a	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 15%	<input type="checkbox"/>	15	(part of 3iiia of Schedule BFLA)	
21b	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 20%	<input type="checkbox"/>	20	(part of 3iiib of Schedule BFLA)	
22	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 30%	<input type="checkbox"/>	30	(part of 3iv of Schedule BFLA)	
23a	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 10% u/s 112A	<input type="checkbox"/>	10	(part of 3viia of Schedule BFLA)	
23b	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 12.5% u/s 112A	<input type="checkbox"/>	12.5	(part of 3viib of Schedule BFLA)	
24a	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 10%- under sections other than u/s 112A	<input type="checkbox"/>	10	(part of 3viia of Schedule BFLA)	
24b	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 12.5% under sections other than u/s 112A	<input type="checkbox"/>	12.5	(part of 3viib of Schedule BFLA)	
25	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 20%	<input type="checkbox"/>	20	(part of 3viii of Schedule BFLA)	
26	Pass through income in the nature of income from other source chargeable at special rates (Drop down to be provided in e-filing utility)	<input type="checkbox"/>		(2e of Schedule OS)	
			Total		

Schedule EI		Details of Exempt Income (Income not to be included in Total Income or not chargeable to tax)			
EXEMPT INCOME	1	Interest income			1
	2	i	Gross Agricultural receipts (other than income to be excluded under rule 7A, 7B or 8 of I.T. Rules)	i	
		ii	Expenditure incurred on agriculture	ii	

	iii	Unabsorbed agricultural loss of previous eight assessment years						iii	
	iv	Net Agricultural income for the year (i – ii – iii) (enter nil if loss)						2	
	v	In case the net agricultural income for the year exceeds Rs.5 lakh, please furnish the following details (Fill up details separately for each agricultural land)							
	a	Name of district along with pin code in which agricultural land is located							
	b	Measurement of agricultural land in Acre							
	c	Whether the agricultural land is owned or held on lease (drop down to be provided)							
	d	Whether the agricultural land is irrigated or rain-fed (drop down to be provided)							
	3	Other exempt income (including exempt income of minor child)						3	
	4	Income claimed as not chargeable to tax as per DTAA							
		Sl. No.	Amount of income	Nature of income	Country name & Code	Article of DTAA	Head of Income	Whether TRC obtained (Y/N)	
	I								
	II								
	III	Total Income from DTAA claimed as not chargeable to tax						4	
5	Pass through income claimed as not chargeable to tax (Schedule PTI)						5		
6	Total (1+2+3+4+5)						6		

Schedule PTI		Pass Through Income details from business trust or investment fund as per section 115U, 115UA and 115UB							
Sl.	Investment entity covered by section 115U/ 115UA/ 115UB	Name of business trust/ investment fund	PAN of the business trust/ investment fund	Sl.	Head of income	Current year income	Share of current year loss distributed by Investment fund	Net Income/ Loss (7-8)	TDS on such amount, if any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
PASS THROUGH INCOME	1.	(Dropdown to be provided)		I	House property				
				ii	Capital Gains				
				a	Short term				
				ai	Section 111A				
				aii	Others				
				b	Long term				
				bi	Section 112A				
				bii	Other than Section 112A				
				iii	Other Sources				
				A	Dividend				
				B	Others				
				iv	Income claimed to be exempt				
				a	u/s 10(23FBB)				
				b	u/s				
				c	u/s				
				2.			I	House property	
	ii	Capital Gains							
	a	Short term							
	ai	Section 111A							
	aii	Others							
	b	Long term							
	Bi	Section 112A							
	Bii	Other than Section 112A							
	iii	Other Sources							
a	Dividend								
B	Others								
iv	Income claimed to be exempt								
a	u/s 10(23FBB)								
b	u/s								
c	u/s								
NOTE Please refer to the instructions for filling out this schedule.									

Schedule FSI			Details of Income from outside India and tax relief (available only in case of resident)						
Sl.	Country Code (dropdown to be provided in the e-filing utility)	Taxpayer Identification Number	Sl.	Head of income	Income from outside India (included in PART B-TI)	Tax paid outside India	Tax payable on such income under normal provisions in India	Tax relief available in India (e)= (c) or (d) whichever is lower	Relevant article of DTAA if relief claimed u/s 90 or 90A
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1			i	Salary					
			ii	House Property					
			iii	Capital Gains					
			iv	Other sources					
				Total					
2			i	Salary					
			ii	House Property					
			iii	Capital Gains					
			iv	Other sources					
				Total					
NOTE ►			Please refer to the instructions for filling out this schedule.						

Schedule TR		Summary of tax relief claimed for taxes paid outside India (available only in case of resident)			
1	Summary of Tax relief claimed				
	Country Code	Taxpayer Identification Number	Total taxes paid outside India (total of (c) of Schedule FSI in respect of each country)	Total tax relief available (total of (e) of Schedule FSI in respect of each country)	Tax Relief Claimed under section (specify 90, 90A or 91)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
	Total				
2	Total Tax relief available in respect of country where DTAA is applicable (section 90/90A) (Part of total of 1(d))				2
3	Total Tax relief available in respect of country where DTAA is not applicable (section 91) (Part of total of 1(d))				3
4	Whether any tax paid outside India, on which tax relief was allowed in India, has been refunded/credited by the foreign tax authority during the year? If yes, provide the details below				4
	a	Amount of tax refunded	b	Assessment year in which tax relief allowed in India	Yes/No
NOTE ►		Please refer to the instructions for filling out this schedule.			

Schedule FA		Details of Foreign Assets and Income from any source outside India
D	A	Details of Foreign Depository Accounts held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on
1		31 st December, 2024

Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution	Address of financial institution	ZIP code	Account number	Status	Account opening date	Peak balance during the period	Closing balance	Gross interest paid/credited to the account during the period
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)											
(ii)											

A Details of Foreign Custodial Accounts held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31st December, 2024

Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution	Address of financial institution	ZIP code	Account number	Status	Account opening date	Peak balance during the period	Closing balance	Gross amount paid/credited to the account during the period (drop down to be provided specifying nature of amount viz. interest/dividend/proceeds from sale or redemption of financial assets/ other income)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)											
(ii)											

A Details of Foreign Equity and Debt Interest held (including any beneficial interest) in any entity at any time during the calendar year ending as on 31st December, 2024

Sl No	Country name	Country code	Name of entity	Address of entity	ZIP code	Nature of entity	Date of acquiring the interest	Initial value of the investment	Peak value of investment during the period	Closing value	Total gross amount paid/credited with respect to the holding during the period	Total gross proceeds from sale or redemption of investment during the period
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i)												
(ii)												

A Details of Foreign Cash Value Insurance Contract or Annuity Contract held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31st December, 2024

Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution in which insurance contract held	Address of financial institution	ZIP code	Date of contract	The cash value or surrender value of the contract	Total gross amount paid/credited with respect to the contract during the period
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(i)								
(ii)								

B Details of Financial Interest in any Entity held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31st December, 2024

Sl No	Country Name and code	ZIP Code	Nature of entity	Name and Address of the Entity	Nature of Interest-Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date since held	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income accrued from such Interest	Nature of Income	Income taxable and offered in this return		
										Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2)	2a	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												

C Details of Immovable Property held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31st December, 2024

	ZIP Code	Ownership-	Total Investment	Income derived	Income taxable and offered in this return
--	----------	------------	------------------	----------------	---

Sl No	Country Name and code	Address of the Property	Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date of acquisition	(at cost) (in rupees)	from the property	Nature of Income	Amount	Schedule where offered	Item number of schedule		
(1)	(2)	2a	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
D Details of any other Capital Asset held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 st December, 2024												
Sl No	Country Name and code	ZIP Code	Nature of Asset	Ownership- Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the asset	Nature of Income	Income taxable and offered in this return			
(1)	(2)	2b	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(i)												
(ii)												
E Details of account(s) in which you have signing authority held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 st December, 2024 and which has not been included in A to D above.												
Sl No	Name of the Institution in which the account is held	Address of the Institution	Country Name and Code	ZIP Code	Name of the account holder	Account Number	Peak Balance/ Investment during the year (in rupees)	Whether income accrued is taxable in your hands?	If (7) is yes, Income accrued in the account	If (7) is yes, Income offered in this return		
(1)	(2)	(3)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(i)												
(ii)												
F Details of trusts, created under the laws of a country outside India, in which you are a trustee, beneficiary or settlor												
Sl No	Country Name and code	ZIP Code	Name and address of the trust	Name and address of trustees	Name and address of Settlor	Name and address of Beneficiaries	Date since position held	Whether income derived is taxable in your hands?	If (8) is yes, Income derived from the trust	If (8) is yes, Income offered in this return		
(1)	(2)	(2a)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(i)												
(ii)												
G Details of any other income derived from any source outside India which is not included in, - (i) items A to F above and, (ii) income under the head business or profession												
Sl No	Country Name and code	ZIP Code	Name and address of the person from whom derived	Income derived	Nature of income	Whether taxable in your hands?	If (6) is yes, Income offered in this return					
(1)	(2)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	Amount	Schedule where offered	Item number of schedule			
(i)												
(ii)												

NOTE ▶ Please refer to instructions for filling out this schedule. In case of an individual, not being an Indian citizen, who is in India on a business, employment or student visa, an asset acquired during any previous year in which he was non-resident is not mandatory to be reported in this schedule if no income is derived from that asset during the current previous year.

Schedule 5A Information regarding apportionment of income between spouses governed by Portuguese Civil Code

Spouse	Name of the spouse	
	PAN/ Aadhaar No. of the	

	Heads of Income	Receipts under the head	Amount apportioned in the hands of the spouse	Amount of TDS deducted on income at (ii)	TDS apportioned in the hands of spouse
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1	House Property				
2	Capital gains				
3	Other sources				
4	Total				

Schedule AL Assets and Liabilities at the end of the year (applicable in a case where total income exceeds Rs. 1 Crore.)

DETAILS OF ASSETS AND LIABILITIES	A	Details of immovable assets				
	Sl. No.	Description	Address	Pin code	Amount (cost) in Rs.	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	(i)					
	(ii)					
	B	Details of movable assets				
	Sl. No.	Description			Amount (cost) in Rs.	
	(1)	(2)			(3)	
	(i)	Jewellery, bullion etc.				
	(ii)	Archaeological collections, drawings, painting, sculpture or any work of art				
	(iii)	Vehicles, yachts, boats and aircrafts				
	(iv)	Financial assets			Amount (cost) in Rs.	
		(a)	Bank (including all deposits)			
		(b)	Shares and securities			
		(c)	Insurance policies			
		(d)	Loans and advances given			
		(e)	Cash in hand			
	C	Liabilities in relation to Assets at (A + B)				
NOTE ► Please refer to instructions for filling out this schedule.						

NOTE ► Please refer to instructions for filling out this schedule.
Schedule: Tax deferred on ESOP
Information related to Tax deferred - relatable to income on perquisites referred in section 17(2)(vi) received from employer, being an eligible start-up referred to in section 80-IAC

PAN of the employer being an eligible startup

DPIIT registration number of the employer

DETAILS	Sl. No.	Assessment Year	Amount of Tax deferred brought forward	Has any of the following events occurred during the previous year relevant to current assessment year			Amount of tax payable in the current Assessment Year (to be populated from col. 3 or 4 as the case maybe)	Balance amount of tax deferred to be carried forward to the next Assessment years Col (3- 7)
				Such specified security or sweat equity shares were sold (i)Fully (ii)Partly (iii)Not sold Specify the date and amount of tax attributed to such sale out of Col 3 (Details to be provided as per utility)	Ceased to be the employee of the employer who allotted or transferred such specified security or sweat equity share? o Yes o No If yes, specify date	Forty-eight months have expired from the end of the relevant assessment year in which specified security or sweat equity shares referred to in the said *clause were allotted. If yes, specify date		
	1	2	3	4	5	6	7	8

	1	2021-22	Sl. No. 8 of Schedule ESOP for last year			(To be enabled from AY 2026-27) (Payment to be made in FY 2025-26)			
	2	2022-23	Sl. No. 8 of Schedule ESOP for last year						
	3	2023-24	Sl. No. 8 of Schedule ESOP for last year						
	4	2024-25	Sl. No. 8 of Schedule ESOP for last year						
	5	2025-26	Sl. No. 8 of Schedule ESOP for last year						

PART-B

Part B – TI		Computation of total income						
	1	Salaries (6 of Schedule S)					1	
	2	Income from house property (3 of Schedule HP) (enter nil if loss)					2	
TOTAL INCOME	3	Capital gains						
	a	Short term						
	ia	Short-term chargeable @ 15% (11ii of item E of schedule CG)			ai			
	ib	Short-term chargeable @ 20% (11iii of item E of schedule CG)						
	ii	Short-term chargeable @ 30% (11iv of item E of schedule CG)			a ii			
	iii	Short-term chargeable at applicable rate (11v of item E of schedule CG)			a iii			
	iv	Short-term chargeable at special rates in India as per DTAA (11vi of item E of Schedule CG)			a iv			
	v	Total Short-term (aia + aib + aii + aiii + aiv) (enter nil if loss)			3av			
	b	Long-term						
	ia	Long-term chargeable @ 10% (11vii of item E of schedule CG)			bi			
	ib	Long-term chargeable @ 12.5% (11viii of item E of schedule CG)						
	ii	Long-term chargeable @ 20% (11ix of item E of schedule CG)			bii			
	iii	Long-term chargeable at special rates in India as per DTAA (11x of item E of schedule CG)			biii			
	iv	Total Long-term (bia + bib + bii + biii) (enter nil if loss)			3biv			
	c	Sum of Short-term/Long-term capital gains (3av + 3biv) (enter nil if loss)					3c	
	d	Capital gain chargeable @ 30% u/s 115BBH (C2 of schedule CG)					3d	

	e	Total capital gains (3c + 3d)		3e	
4		Income from other sources			
	a	Net income from other sources chargeable to tax at normal applicable rates (6 of Schedule OS) (enter nil if loss)	4a		
	b	Income chargeable to tax at special rates (2 of Schedule OS)	4b		
	c	Income from the activity of owning and maintaining race horses (8e of Schedule OS) (enter nil if loss)	4c		
	d	Total (4a + 4b + 4c) (enter nil if loss)		4d	
5		Total of head wise income (1+2+3e+4d)		5	
6		Losses of current year set off against 5 (total of 2xiv and 3xiv of Schedule CYLA)		6	
7		Balance after set off current year losses (5-6) (total of column 4 of Schedule CYLA + 2 of Schedule OS)		7	
8		Brought forward losses set off against 7 (2xiii of Schedule BFLA)		8	
9		Gross Total income (7-8) (3xiv of Schedule BFLA + 2 of Schedule OS)		9	
10		Income chargeable to tax at special rate under section 111A, 112, 112A etc. included in 9		10	
11		Deductions under Chapter VI-A [w of Schedule VIA and limited to (9-10)]		11	
12		Total income (9 - 11)		12	
13		Income which is included in 12 and chargeable to tax at special rates (total of column (i) of schedule SI)		13	
14		Net agricultural income/ any other income for rate purpose (3 of Schedule EI)		14	
15		Aggregate income (12-13+14) [applicable if (12-13) exceeds maximum amount not chargeable to tax]		15	
16		Losses of current year to be carried forward (total of row xi of Schedule CFL)		16	
17		Deemed income under section 115JC (3 of Schedule AMT)		17	

Part B –TTI		Computation of tax liability on total income				
COMPUTATION OF TAX LIABILITY	1	a	Tax payable on deemed total income u/s 115JC (4 of Schedule AMT)	1a		
		b	Surcharge on (a) (if applicable)	1b		
		c	Health and Education Cess @ 4% on (1a + 1b) above	1c		
		d	Total tax payable on deemed total income (1a + 1b + 1c)		1d	
	2		Tax payable on total income			
		a	Tax at normal rates on 15 of Part B-TI	2a		
		b	Tax at special rates (total of col. (ii) of Schedule SI)	2b		
		c	Rebate on agricultural income [applicable if (12-13) of Part B-TI exceeds maximum amount not chargeable to tax]	2c		
		d	Tax Payable on Total Income (2a + 2b - 2c)		2d	
	3		Rebate under section 87A		3	
	4		Tax payable after rebate (2d - 3)		4	
	5		Surcharge	Surcharge computed before marginal relief	Surcharge after marginal relief	
		i	@ 25% of 15(ii) of Schedule SI	5i	ia	

		ii	@10% or 15%, as applicable (Refer instructions)	5ii		5ia			
		iii	On [(4) – 15(ii) of Schedule SI – tax on incomes referred in 5(ii) above]	5iii					
		iv	Total ia + iia					5iv	
	6	Health and Education Cess @ 4% on (4 + 5iv)						6	
	7	Gross tax liability (4 + 5iv + 6)						7	
	8	Gross tax payable (higher of 1d and 7)						8	
	8a	Tax on income without including income on perquisites referred in section 17(2)(vi) received from employer, being an eligible start-up referred to in section 80-IAC (8-8b)						8a	
	8b	Tax deferred - relatable to income on perquisites referred in section 17(2)(vi) received from employer, being an eligible start-up referred to in section 80-IAC						8b	
	8c	Tax deferred from earlier years but payable during current AY (total of col 7 of schedule Tax deferred on ESOP)						8c	
	9	Credit u/s 115JD of tax paid in earlier years (applicable only if 7 is higher than 1d) (row 5 of Schedule AMTC)						9	
	10	Tax payable after credit u/s 115JD (8a + 8c - 9)						10	
TAXES PAID	11	Tax relief							
		a	Section 89(Please ensure to submit Form 10E)	11a					
		b	Section 90/ 90A (2 of Schedule TR)	11b					
		c	Section 91 (3 of Schedule TR)	11c					
		d	Total (11a + 11b + 11c)				11d		
	12	Net tax liability (10 – 11d) (enter zero if negative)						12	
	13	Interest and fee payable							
		a	Interest for default in furnishing the return (section 234A)	13a					
		b	Interest for default in payment of advance tax (section 234B)	13b					
		c	Interest for deferment of advance tax (section 234C)	13c					
	d	Fee for default in furnishing return of income (section 234F)	13d						
	e	Total Interest and Fee Payable (13a+13b+13c+13d)				13e			
	14	Aggregate liability (12 + 13e)						14	
TAXES PAID	15	Taxes Paid							
		a	Advance Tax (from column 5 of 20A)	15a					
		b	TDS (total of column 5 of 20B and column 9 of 20C)	15b					
		c	TCS (total of column 7(i) of 20D)	15c					
		d	Self-Assessment Tax (from column 5 of 20A)	15d					
		e	Total Taxes Paid (15a + 15b + 15c + 15d)				15e		
	16	Amount payable (Enter if 14is greater than 15e, else enter 0)						16	
	17	Refund (If 15e is greater than 14) (Refund, if any, will be directly credited into the bank account)						17	
BANK ACCOUNT	18	Do you have a bank account in India (Non- Residents claiming refund with no bank account in India may select No)							Select Yes or No
		Sl.	IFS Code of the Bank in case of Bank Accounts held in India	Name of the Bank	Account Number	Type of account (Dropdown to be provided by e-filing utility)	Select Account for refund credit (tick at least one account ✓)		
		i					<input type="checkbox"/>		
		ii					<input type="checkbox"/>		
		Note: 1. All bank accounts held at any time are to be reported, except dormant A/c. 2. In case multiple accounts are selected, the refund will be credited to one of the validated accounts after processing the return.							

	Rows can be added as required				
ii.	b) Non- residents, not having bank account in India may, at their option, furnish the details of one foreign bank account:				
	Sl. No.	SWIFT Code	Name of the Bank	Country of Location	IBAN
	Rows can be added as required				
19	Do you at any time during the previous year, (i) hold, as beneficial owner, beneficiary or otherwise, any asset (including financial interest in any entity) located outside India; or (ii) have signing authority in any account located outside India; or (iii) have income from any source outside India? [applicable only in case of a resident] [Ensure Schedule FA is filled up if the answer is Yes]				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No

20 TAX PAYMENTS																	
A Details of payments of Advance Tax and Self-Assessment Tax																	
ADVANCE/SELF	Sl No	BSR Code				Date of Deposit (DD/MM/YYYY)				Serial Number of Challan				Amount (Rs)			
	(1)	(2)				(3)				(4)				(5)			
	i																
	ii																
	iii																
	iv																
NOTE ►		Enter the totals of Advance tax and Self-Assessment tax in Sl No. 15a & 15d of Part B-TTI															
B Details of Tax Deducted at Source from Salary [As per Form 16 issued by Employer(s)]																	
TDS ON SALARY	Sl No	Tax Deduction Account Number (TAN) of the Employer				Name of the Employer				Income chargeable under Salaries				Total tax deducted			
	(1)	(2)				(3)				(4)				(5)			
	I																
	II																
NOTE ►		Please enter total of column 5 in 15b of Part B-TTI															
C Details of Tax Deducted at Source (TDS) on Income [As per Form 16 A issued or Form 16B/16C/16E furnished by Deductor(s)]																	
C 1	Sl No	TDS credit relating to self /other person [spouse as per section 5A/other person as per rule 37BA(2)]	PAN/ Aadhaar No. of Other Person (if TDS credit related to other person)	TAN of the Deductor/ PAN/ Aadhaar No. of Tenant/ Buyer	Section under which TDS is deducted	Unclaimed TDS brought forward (b/f)		TDS of the current Financial Year (TDS deducted during FY 2024-25)		TDS credit being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year, not applicable if TDS is deducted u/s 194N)		Corresponding Receipt/withdrawals offered		TDS credit being carried forward			
						Fin. Year in which deducted	TDS b/f	Deducted in own hands	Deducted in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)	Claimed in own hands	Claimed in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)	Gross Amount	Head of Income				
	(1)	(2)	(3)	(4)	4a	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
								Incom e	TD S		Incom e	TD S	PAN/ Aadhaar No.				

I											
D Details of Tax Collected at Source (TCS) [As per Form 27D issued by the Collector(s)]											
TDS ON OTHER INCOME	Sl. No.	TCS credit relating to self / other person [spouse as per section 5A/ other person as per rule 37BA(2)]	Tax Deduction and Tax Collection Account Number of the Collector	PAN of other Person (if TCS credit related to other person)	Unclaimed TCS brought forward (b/f)		TCS of the current fin. Year		TCS credit being claimed this Year		TCS credit being carried forward
					Fin. Year in which collected	Amount b/f	Collected in own hands	Collected in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37-I(1) (if applicable)	Claimed in own hands	Claimed in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37-I(1) (if applicable)	
	(1)	2(i)	(2)(ii)	(3)	(4)	(5)	6(i)	(6)(ii)	7(i)	(7)(ii)	(8)
										TCS PAN	
	i										
NOTE ► Please enter total of column 7(i) in 15c of Part B- TTI											

VERIFICATION

I, _____ son/ daughter of _____, solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return and schedules thereto is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961.				
I further declare that I am making return in my capacity as _____ and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number _____ (if allotted) (<i>Please see instruction</i>) I further declare that the critical assumptions specified in the agreement have been satisfied and all the terms and conditions of the agreement have been complied with. (Applicable in a case where return is furnished under section 92CD)				
Date		Place		Sign here ➔
If the return has been prepared by a Tax Return Preparer (TRP) give further details below:				
Identification No. of TRP		Name of TRP		Counter Signature of TRP
If TRP is entitled for any reimbursement from the Government, amount thereof				

[F. No. 370142/15/2025-TPL]

SURBENDU THAKUR, Under Secy., Tax Policy and Legislation

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section(ii) *vide* number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and was last amended *vide* notification GSR 286(E), dated the 01 May, 2025.

Explanatory Memorandum- It is hereby certified that no person shall be adversely affected by giving retrospective effect to these rules.